ANNUAL REPORT - 2013 - 2014

INDEX


| | |
|---|---|
| GENERAL ..... | 1 - 5 |
| ACTIVITIES ..... | 5 -13 |
| UPGRADATIONS AND ASSET CREATION ..... | 13-15 |
| OTHER MATTERS ..... | 15–19 |
| ACKNOWLEDGEMENTS ..... | 19 |
| ANNUAL ACCOUNTS ..... | 21-27 |
| SCHEDULES TO ACCOUNT..... | 28-55 |

कोचचिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
Cochin Special Economic Zone Authority
वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014
Annual report 2013-2014

# विषय सूची


| | |
|---|---|
| सामान्य ..... | 1-5 |
| गतिविधियां ..... | 5 -13 |
| प्रोन्नति और परिसंपतति का सृजन ..... | 13-15 |
| अन्य मामले ..... | 15 - 19 |
| आभार ..... | 19 |
| वार्षिक लेखा ..... | 21-27 |
| लेखा संबंधित अनुसूचियां ..... | 28-55 |

**Cochin Special Economic Zone Authority**
**Annual report 2013-2014**

**General**

## 1. Introduction

Cochin special Economic Authority was constituted by the Government of India in Department of Commerce by Notification No.S/P/571(E) dated 27.02.2009 issued under Section 31 of the Special Economic Zones Act 2005 to manage and operate the Cochin Special Economic Zone, (CSEZ) at Kakkanad, Cochin. CSEZ has been in existence since 1984 but was managed by the Department of Commerce through the Office of the Development Commissioner, CSEZ. Over a period of time the role of the Development Commissioner, CSEZ expanded to facilitate and regulate various export promotions and other schemes of the Government of India.

The constitution of the Authority is intended to segregate the development and regulatory functions of the office and to enable the Zone to compete on equal terms with the new private special economic zones. With the enactment of the Special Economic Zones Act 2005 and the notification of Special Economic Zones Rules 2006 which created different classes of special economic Zones, CSEZ alongwith the other 6 special economic zones of the Government of India is a designated multi-product special economic zone.

## 2. Administration

The Authority is headed by Chairman, which is a post held ex-officio by the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone. The Authority comprises the following:

| | |
|---|---|
| Joint Secretary (SEZ), Department of Commerce | - Member |
| Deputy Development Commissioner, CSEZ | - Member |
| Jt. Director General of Foreign Trade, Kochi | - Member |
| Shri Anwar Hashim, MD, Abad Exim (P) Ltd. | - Member |
| Shri Munishkumar B Gupta, MD, Tata Ceramics Ltd. | - Member |

The first three are ex-officio members representing the Department of Commerce and the Central Government with experience of Special Economic Zones. The last two are entrepreneurs in the CSEZ nominated for a term of two years by the Government of India.

2.2 The Chairman is the Chief Executive of the Cochin Special Economic Zone and heads the administration comprising of such officers as are considered necessary by the Authority for its efficient operation and with the approval of the Central Government. The Authority functions are now being discharged as additional charge by the staff of the Development Commissioner who had been handling the estate management and other related areas of administration of the CSEZ before the constitution of the Authority. The Assistant Development Commissioner (Infrastructure) has been designated in person as the Secretary (in – charge) of the Authority. These posts are proposed to be filled up on deputation basis from among those who had been handling these matters in the earlier days.

**कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण**
**वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014**

1. सामान्य

1.परिचय

भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.2.2009 के अधिसूचना सं एस/पी571 ई के द्वारा पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अधीन कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया, ताकि कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र- सेस, काक्कनाड कोच्चिन का प्रबंधन एवं प्रचालन किया जा सकें । कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र वर्ष 1984 से वाणिज्य विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय, सेस के अधीन कार्यरत है । पिछले कई वर्षों से विकास आयुक्त कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व नर्यात संवर्धन और अन्य योजनाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका बढाई है ।

प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य, प्राधिकरण का विकास एवं नियंत्रण के साथ साथ क्षेत्र को गैर सरकारी आर्थिक क्षेत्र के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 को जारी करके विभिन्न प्रकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए, सेस को भारत सरकार के छह अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों के साथ बहु उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है ।

2. प्रशासन

अध्यक्ष प्राधिकरण के मुखिया है, जो पदेन रूप में कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त भी हैं। प्राधिकरण में निम्न लिखित पद भी हैं।

| | |
|---|---|
| संयुक्त सचिव (सेस) वाणिज्य विभाग | - सदस्य |
| उप विकास आयुक्त, सेस | - सदस्य |
| संयुक्त महानिदेशक, विदेशव्यपार, कोच्ची | - सदस्य |
| श्री अनवर हाशिम, महा प्रबंधक, अबाद एक्सिम प्रा.लि | - सदस्य |
| श्री मुनीशकुमार बी गुप्ता, महा प्रबंधक, टाटा सेरामिक्स लि. | - सदस्य |

प्रथम तीन पदेन अधिकारी कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र के अनुभवों सहित वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधित्व करते है । अंतिम दोनों सेस के उद्यमकरताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया है ।

2.2. अध्यक्ष, कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी है और प्रशासन का कार्य उन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें प्राधिकरण कुशल कार्यपालन के लिए जरूरी समझती है और यह भारत सरकार की मंजूरी से किया जाता है । प्राधिकरण का कार्य फिलहाल विकास आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में किया जा रहा है जो प्राधिकरणा के पहले संपदा प्रबंधान और प्रशासन से संबंधित अन्य कार्य देख रहे थे सहायक विकास आयुक्त (बुनियादी सुविधा) को प्राधिकरण के सचिव (प्रभारी ) के रूप में नामित किया गया है। इन पदों पर ऐसे कामों के पूर्वानुभव रखनेवाले लोगों से प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव है ।

2.3 Shri C J Mathew, Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone was the Chairman of the CSEZ Authority till 10.08.2011. Shri. M.S. Rao, Development Commissioner, VSEZ was holding additional charge of the Development Commissioner, CSEZ and was the Chairman of the Authority for the remaining period. Dr. Safeena A.N., Development Commissioner, took charge from 15th January 2013

## 3. SCOPE OF ACTIVITIES

The Authority is the custodian of the assets of the CSEZ which has been established on an area of 103 acres. Common roads and drainage systems exist in CSEZ along with utilities such as electrical sub–station, water treatment plant, common effluent treatment plant and incinerator. Areas other than the green belt and the green lungs have been parceled as plots.

Most of the plots have been allotted to exporting units operating under the scheme who have built their own structures. Fourteen of these plots have been used for building, nine Standard Design Factories, for Multi – storied Standard Design Factories and one warehouse. The total built up space is 89, 307 sq meters of which the MSDFs offer 73,594 sq meters. One plot was leased to M/s. Muthoot Hotels and Ventures Ltd for construction of an IT tower as co-developer. About 17% of the total area is occupied by the buildings. The maintenance and upkeep of the roads, infrastructure and owned buildings is the responsibility of the Authority. In addition, the Authority operates the Power Distribution System for the distribution license issued to Development Commissioner, CSEZ under the Central Electricity Act.

3.2 The Authority operates the Estate, Power Distribution System and the Integrated Water Management System as profit centres with the intention that each of these should be self-sustaining. Major works in relation to these profit centres, minor works relating to the estate and power distribution and integrated water management systems are executed through an operation and management agency, KITCO Ltd, which is a joint venture of Industrial Development Bank of India and Government of Kerala.

3.3 In addition to efficient management system of estate and utilities, the Authority is also expected to manage its finances so that all expenditure, including capital work, are to the extent possible financed internally. The accounting responsibilities that devolve with this requirement are also necessary to be discharged through proper long-term planning for upgradation, annual budgeting, and establishment of internal control systems.

3.4 Utility management in CSEZ involves compliance with the regulatory directives of the Kerala State Electricity Regulatory Commission, coordination with the Irrigation Department, Government of Kerala and compliance with statutory requirements of the Kerala State Pollution Control Board. This calls for timely submission of returns, maintenance of prescribed records and technical knowledge of processes.

2.3. श्री सी जे मैथ्यू, विकास आयुक्त कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार दिनांक 10.8. तक संभाला है । बाकी समय केलिए श्री एम एस राव 2011विकास आयुक्त , विशाख पट्टणम विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाले है । दिनांक 15.01.से डां सफीना ए एन 2013 का कार्यग्रहण कियाविकास आयुक्त|

3. गतिविधियों का क्षेत्र

## प्राधिकरण

यह प्राधिकरण 105 एकड में फैली सेस की संपत्ति का संरक्षक है । बिजली उप केन्द्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सामान्य एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इंसिनेटर आदि के साथ साथ सेस में रोड और ड्रेइनेज सिस्टम (नालियां ) भी है । बगीचे को छोडकर भूमि प्लाट के रूप में विभाजित है ।

अधिकतर प्लाट निर्यात यूनिटों केलिए आबंटित किया गया है जिस में यूनिट ने अपने डिजाइन के अनुसार अपने अपने मकान बनाये हैं । ऐसी चौदह प्लाट में नौ स्टेंडर्ड डिजाईन फैक्टरी , चार बहुमंजिलीय स्टेंडर्ड डिजाईन फैक्टरी और एक गोदाम बनाये हैं । कुल निर्मित क्षेत्र 89307 वर्गमीटर है जिस में 73,594 बहुमंजिलीय स्टैंडेर्ड डिजाईन फैक्टरियां हैं। एक प्लोट मेसर्स मुत्तूट होटल्स और वेन्चेर्स को आई टी टावर के निर्माण के लिए पट्टे पर सहनिर्माता के रूप में दिया गया है । कुल एरिया के 17% भाग इस मकान के लिए उपायोग में लाया गया है । रोड बनाना और उसकी मरम्मत करना, मकान की मर्मत कार्य करना आदि प्राधिकरण की जिम्मेदारी है । इस के अलावा सेस, केन्द्रीय बिजली अधिनियम के अधीन विकास आयुक्त को प्रदत्त वितरण लाइसेन्स के अनुसार बिजली की वितरण प्रणाली का भी संचालन करता है ।

3.2. प्राधिकरण संपदा प्रबंधन और बिजली वितरण प्रणाली को लाभ पर चलाती है जिस का लक्ष्य प्रत्येक यूनिट को आत्मनिर्भर बनाना है । प्रोफिट सेंटर से संबंधित मुख्य कार्य है संपदा और बिजली वितरण, तथा समेकित जल प्रबंधन प्रणाली से संबंधित लघु कार्य मेसर्स किट्को लिमिटड के माध्यम से की जाती है , जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक अफ इंडिया और केरल सरकार के संयुक्त उद्यम है ।

3.3. संपत्ति और सुविधाओं के कुशल प्रबंधन के अलावा प्राधिकरण को पूंजी कार्य सहित अपने वित्त का प्रबंधन भी यथासंभव स्वयं करना आवश्यक है । इस के साथ उत्पन्न होने वाली लेखांकन उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए विकास की समुचित दीर्घ कालिक योजना, वार्षिक बजट का निर्माण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना आदि कार्य भी जरूरी है ।

3.4. सेस में सुविधाओं को प्रबंधन में केरल राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग के नियंत्रण संबंधी निदेशन का पालन, केरल सरकार के सिंचाई विभाग के साथ समन्वय, केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सांविधिक आवश्यकताओं के निदेशों के अनुपालन आदि शामिल है । इस कार्य में समय समय पर रिपोर्ट देना, निधारित रेकार्ड का अनुरक्षण करना और प्रक्रियाओं की तकनीकी जानकारी आदि की आवश्यकता है ।

3.5 As a hub of economic transactions, CSEZ is the largest industrial cluster in the State of Kerala with an employee strength of over twelve thousand. Ensuring their safety and security, as well as protection of property of Authority and investments of entrepreneurs, catering to their welfare requirements, including canteen, emergency medical care and crèche facilities are also within the responsibility of the Authority.

3.6 CSEZ is a green SEZ, committed to the preservation of the ecology and industrial activity in harmony with the natural environment, the Authority has assumed the self-imposed responsibility of reducing carbon footprints, energy conservation and hygienic ambience which calls for constant monitoring, continuous evaluation and dynamic remedies.

## II. ACTIVITIES

### 1. EXPORT PERFORMANCE

The primary objective of establishment of a Special Economic Zone is export promotion, enhancement of investment and employment generation. In 2013–14, the Zone achieved an export turnover of Rs.4335.52 crore export against export of Rs.32512.40 crore in the previous year. There was a shortfall in export compared to the previous period due to the ban imposed on manufacturing and export of gold coins and medallions which was a major export item during the last year.

1.2 All Sectors except Gem & Jewellery and IT & ITES recorded growth in exports over the previous year. The Textiles and Garments sector recorded a growth of 70.21%, while Electronics Hardware shown growth of 20%

Sectoral Distribution of exports 2012-13 and 2013-14

| Sector | Exports (Rs. Crore) 2012-13 | Exports (Rs. Crore 2013-14) |
|---|---|---|
| Agro & Food | 192.97 | 201.82 |
| Electronics Hardware | 259.43 | 310.62 |
| Engineering | 110.34 | 130.81 |
| Gem & Jewellery | 30918.22 | 2728.92 |
| IT and ITES | 492.78 | 296.9 |
| Miscellaneous | 106.70 | 112.24 |
| Plastic and Rubber Products | 67.83 | 72.8 |
| Services | 8.36 | 9.5 |
| Textiles & Garments | 81.64 | 138.96 |
| Trading | 274.13 | 332.95 |
| **Grand** | **32512.40** | **4335.52** |

3.5. आर्थिक लेनदेन के केन्द्र के रूप में सेस केरल राज्य का सबसे बडा औद्योगिक संकुल है जहां पर बारह हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं । कर्मचारियों की सुरक्षा और अभिरक्षा, प्राधिकरण की संपत्ति की रक्षा, उद्यमकर्ताओं के निवेश की रक्षा, सभी कर्मचारियों के कल्याण की आवश्यकताएं जैसी कैन्टीन, आपत्कालीन चिकित्सा, पालनघर आदि सुविधाएं प्रदान करना प्राधिकरण की जिम्मेदारी में आते हैं ।

3.6. सेस क्षेत्र काफी हरे भरे है तथा परिस्थिति का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सद्भाव रखते हुए औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है । प्राधिकरण ने स्वयं कार्बण की निकासी कम करने , ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ वातावरा आदि पर निरंतर निगरानी और सतत मूल्यांकन और तुरंत उपचार की जिम्मेदारी अपने उुपर ली है ।

## ख. गतिविधियाँ

### 1. निर्यात कार्याकलाप

विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढावा देना तथा निवेश और रोजगार में वृद्धि करना है । वर्ष 2013-14 में इस क्षेत्र ने 2200 28.करोड रुपये के निर्यात कारोबार की है जो पिछले वर्ष में रु. 4335.52 थे । पिछले पाँच वर्षो के निर्यात कारोबार के विश्लेषण से वर्ष वार वृद्धि देखी जा सकती है ।

1.2 रत्नरें में पिछले वर्षों से व को छोडकर बाकी सभी सेक्टन्नोंखाद्य उत्प / आभूषण और कृषि / वृद्धि हुइ है । वस्त्र व्यापार में 70.21प्रतिशत वृद्धि रेकार्ड किया गया । इलक्ट्रानिक हार्डवेर में 20 प्रतिशत वृद्धि है । 2013-14/ 2014-15 के क्षत्रवार वितरण की प्रतिबंध के कारण निर्यात में कमी हुई है ।

| क्रम | उत्पाद खंड | निर्यात (करोडों में ) 2012-13 | निर्यात (करोडों में ) 2013-14 |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि और खाद्य | 192.97 | 201.82 |
| 2 | इलक्ट्रानिक हार्डवेयर | 259.43 | 310.62 |
| 3 | इंजिनीयरिंग | 110.34 | 130.81 |
| 4 | जवाहरात और आभूषण | 30918.22 | 2728.92 |
| 5 | आई और आइ टल इ एस | 492.78 | 296.9 |
| 6 | अन्य | 106.70 | 112.24 |
| 7 | प्लास्टिक और रबड उत्पाद | 67.83 | 72.80 |
| 8 | सेवा | 8.36 | 9.50 |
| 9 | वस्त्र और कपडे | 81.64 | 138.96 |
| 10 | व्यापार | 274.13 | 332.95 |
| | कुल योग | 32512.40 | 4335.52 |

1.3 This turnover was achieved by the 128 units that were in active production during the year. The sector-wise break-up of units is as follows:-

Sectoral distribution of operating units:-

| Sl.No. | Product Sector | No. of units |
|---|---|---|
| 1 | Agro & Food | 15 |
| 2 | Electronics Hardware | 12 |
| 3 | Engineering | 11 |
| 4 | Gem & Jewellery | 21 |
| 5 | IT and ITES | 32 |
| 6 | Miscellaneous | 16 |
| 7 | Plastic and Rubber Products | 7 |
| 8 | Services | 2 |
| 9 | Textiles & Garments | 2 |
| 10 | Trading | 10 |
| | Total | 128 |

During the year 6 Letters of Approval were issued, 5 units came into commercial products and 2 units exited from the SEZ. 5 units are under implementation and are expected to achieve production shortly.

1.4 The constant increase in the number of units over the last 25 years of existence is testimony to the ever increasing popularity of the SEZ for the investors- both indigenous and global. From 1 unit in 1986-87, the number increased to seventeen in 1990-91 and in the next decade 34 were added. At the end of 2013-14, the number had more than doubled to 128.

Growth of units in CSEZ-2000 to 2013

| Year | Units |
|---|---|
| 2000-2001 | 51 |
| 2001-2002 | 55 |
| 2002-2003 | 62 |
| 2003-2004 | 67 |
| 2004-2005 | 77 |
| 2005-2006 | 78 |
| 2006-2007 | 85 |
| 2007-2008 | 87 |
| 2009-2009 | 90 |
| 2009-2010 | 98 |
| 2010-2011 | 107 |
| 2011-2012 | 117 |
| 2012-2013 | 126 |
| 2013-2014 | 128 |

1.3 वर्ष के दौरान 128 यूनिटों ने यह रेकार्ड टर्नओवर हासिल किया है । यूनिटों के क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है । आपरेटिंग यूनिटों के क्षेत्रवार ब्यौरा ।

| क्रम सं | उत्पाद क्षेत्र | यूनिट |
|---|---|---|
| 1 | कृषि और खाद्य | 15 |
| 2 | इलक्ट्रानिक हार्डवेयर | 12 |
| 3 | इंजिनीयरिंग | 11 |
| 4 | रत्न और आभूषण | 21 |
| 5 | आइ टी और आइ टी इ एस | 32 |
| 6 | मिश्रित | 16 |
| 7 | प्लास्टिक और रबड | 7 |
| 8 | सेवा | 2 |
| 9 | कपडा और वस्त्र | 2 |
| 10 | व्यापार | 10 |
| | योग | 128 |

वर्ष के दौरान छः अनुमोदन पत्र जारी किये गये ।**पांच** यूनिटों में वाणिज्य उत्पदन शुरू किया, **दो** यूनिटें बाहर गया। **पांच यूनिटें कार्यान्वयन की जा रही है** ।

1.4 अंतिम पच्चीस साल से यूनिटों के लिए एस ई जड की बढती संख्या, स्वदेशी/वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है । वर्ष 1986-87 में एक यूनिट से शुरू होकर वर्ष 1990-91 में **सत्रह** यूनिट के रूप में वृद्धि हुई और अगले दशक में चौंतीस यूनिटें जुडी गई है । वर्ष 2013-14 के अंत तक यूनिटों की संख्या लगभग दोगुनी हो कर एक सौ **उनतीस** हो गई ।

सेस में यूनिटों की वृद्धि वर्ष 2000 से 2013 तक

| वर्ष | यूनिटें |
|---|---|
| 2000-01 | 51 |
| 2001-02 | 55 |
| 2002-03 | 62 |
| 2003-04 | 67 |
| 2004-05 | 77 |
| 2005-06 | 78 |
| 2006-07 | 85 |
| 2007-08 | 87 |
| 2008-09 | 90 |
| 2009-10 | 98 |
| 2010-11 | 107 |
| 2011-12 | 117 |
| 2012-13 | 126 |
| 2013-14 | 128 |

Investors from USA, United Kingdom, Italy, Spain, Russia and Israel exist alongside Indian investors and there is good mix of small and large companies, with more number in the MSME Sector. USA, Europe and West Asia are the prime destination for the gem and jewellery sector. Interestingly, relatively small countries in Africa are importers of goods manufactured in CSEZ.

## 2. ESTATE MATTERS

The Authority allotted 6248.47 Sq. Mtrs. of built-up space and 49 Sq. Mtrs. of land during 2013-14 to units. This will, in the coming years contribute to increased exports. A system to evict non performers promptly has been put in place.

2.2 The authority earned Rs. 9.31 crore from lease rentals. Leases are entered into for a tenure of 15 years and the lease rental are revised every 3 year to keep pace with the increased cost of maintenance and provision of upgraded facilities.

2.3 A number of cases pertaining to acquisition of land are pending in various courts and is being perused vigorously for early conclusion. The authority has designated an experienced pleader to handle these cases.

2.4 Owing to the modern facilities provided in the SEZ, there is tremendous demand for space-built-up as well as plots. The SEZ is fully occupied and further expansion in the vicinity is impossible. To carter to the demand to show-case CSEZ as useful model, it is proposed to obtain land from the Government of Kerala on lease and operate it as an extension of CSEZ.

## 3. POWER DISTRIBUTION SYSTEM

Development Commissioner, CSEZ was issued with a distribution licence under the Indian Electricity Act, 1910 by the Government of Kerala. Upon enactment of Central Electricity Act 2003, this was deemed to a distribution licencse issued under the new statute. This distribution licence enables supply of electrical energy to all installation in the notified are of the CSEZ. In this capacity, the activities under the licence, operated by the Authority, comes with the regulatory jurisdiction of the Kerala State Electricity Regulatory Commissioner (KSERC).

3.2 The Authority owns and operates the power distribution system comprising a 10/12.5 110/11 KV dedicated sub-station with underground cables laid in Ring main formation to enable tapping by units. The system has been established at a cost of Rs.12.95 crore. The supply of power of 10 MW is currently sourced from the Kerala State electricity Board under a contract for a period of 20 years Procurement tariff for power is fixed by the KSERC for all bulk purchasers and the supply tariff is determined by the KSERC based on the projections of costs made by the licencee.

3.3 In accordance with the statutory requirements the revenue account relating to the power distribution system is required to be maintained separately and till the constitution of the Authority, this was the responsibility of the O &M agency retained for the purpose. From 2009-10, an account is operated directly by the Authority. A three member Consumer Grievance Redressal Forum constituted in accordance with the KSERC regulations with one member nominated by the KSERC is functioning to redress grievances.

अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, रूस और इस्राएल से निवेशक भारतीय निवेशकों के साथ मौजूद है और वहाँ छोटी और बडी कंपनियों का अच्छा मिश्रण है । जबकि पश्चिम एशिया, अमेरिका, यूरोप, हाँकाँग और सिंगपूर में जेम एंड ज्वेलरी का मुख्य केन्द्र है ।

2. संपदा संबंधित बातें।

वर्ष 2014-15 में प्राधिकरण 6248.47 वर्गमीटर मकान और 49वर्ग मीटर जमीन आबंटित किया गया । यह आने वाले वर्षों में निर्यात के योगदान में वृद्धि करेगा । यह आगामी वर्षों में निर्यात में वृद्धि देंगी । नर्यत में आवश्यक लक्ष्य पूरा न करनेवाले निर्यातकों को बाहर करने का एक प्रणाली प्रचालन में है ।

2.2 प्राधिकरण ने पट्टे किराये के रूप में 9.31 करोड रुपये अर्जित किये है । यह पट्टा 15 वर्षो के लिए है और यह पट्टा हर चौथे साल मरम्मत कार्य के बाद संशोधित करने का प्रावधान किया गया है ।

2.3 विभिन्न अदालतों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कई मामले लंबित है ,जिनके शीघ्र समापन केलिए प्रयास किये जा रहे है । इन मामलों को संभालने के लिए प्राधिकरण ने एक अनुभवी वकील को नामित किया गया है ।

2.4 एस ई जड में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण वहां निर्मित मकान और प्लाट की भारी माँग है । एस ई जड पूरी तरह भरा हुआ है और आगे विस्तार करना असंभव है । केरल सरकार से भूमि पट्टे पर लेकर एस ई जेड का विकास करने का प्रस्ताव है ।

3 बिजली वितरण प्रणाली

भारतीय वद्युत अधिनियम 1910 के अधीन विकास आयुक्त कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र को केरल सरकार द्वारा 2002 में विद्युत वितरण लाइसेन्स जारी किया गया है । 2003 के केन्द्रीय विद्युत अधिनियम के अनुसार यह नये नियम के अधीन जारी किये गये वितरण लाइसेन्स के रूप में माना गया है । यह वितरण लाइसेन्स सेज के सभी अधिसूचित संस्थानों को विद्युत उर्जा प्रदान करने केलिए सक्षम बनाता है । इस क्षमता में प्राधिकरण द्वारा संचालित गतिविधियाँ केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (के एस ई आर सी ) के क्षेत्राधिकार के भीतर आती हैं ।

3.2 प्राधिकरण के स्वामित्व में 10/12.5 एम वी ए 110/11 के वी उपस्टेशन से भूगर्भ केबल डाल कर रिंग मेन फोर्मेशन के द्वारा सभी यूनिटों को बिजली वितरित की जाती है । इस प्रणाली को 12.95 करोड रुपये की लगत से तैयार किया गया है । केरल राज्य बिजली बोर्ड से एक अनुबंध के अन्तर्गत 20 वर्ष की अवधि के लिए 10 मेगावाट बिजली की आपूर्ती ले रहे हैं । के एस ई आर सी द्वारा सभी थोक खरीदारों के लिए, बिजली प्राप्त करने के लिए टैरिफ का निधारण किया गया है और आपूर्ती टैरिफ के एस ई आर सी ने लाइसेन्सधारी के लगत के अनुसार किया जाता है ।

3.3 प्राधिकरण का गठन होने तक वैधानिक आवश्यकता के अनुसार बिजली वितरण से संबंधित राजस्व के खाते को बनाये रखने की जिम्मेदारी उसी प्रयोजन के लिए स्थापित ओ एम एजेन्सी की थी । वर्ष 2009-10 से प्राधिकरणा द्वारा सीधो खाता संचालित किया जाता है ।उपभोक्ता शिकायत निवारण केलिए 3 सदस्यों की समिति बनाई गई है जो के एस आर इ सी के मार्गदर्शन पर है और एक सदस्य उनकी द्वारा निदेशित है । शिकायतों के निवारण के लिए के एस ई आर सी से परामर्श करके उन के द्वारा नामित एक सदस्य सहित एक शिकायत समिति कार्यरत है ।

3.4 The units are classified as LT, HT and EHT for the purpose of tariff approved by KSERC.

3.5 As the system has been in operation for over 6 years, its functioning is monitored very closely to ensure that it retain its reputation for smooth and efficient functioning. There have been no break-downs and the transmission losses have been minimal. The entrepreneurs in CSEZ have consistently commented the service offered to them. However, there have been constraints in getting additional power from the KSEB at rates that enable CSEZ to maintain the retail tariff at par with those for the consumers outside the Zone. The KSERC has revised the bulk energy supply charge to be paid by CSEZ to 3.16/KWH from 2.75/KWH with effect from 01.10.2011 without changing the Retail Supply Tariff. An appeal has been filed before the Appellate Tribunal of Electricity at New Delhi against this order and the orders of the Appellate Tribunal is awaited.

## 4. INTEGRATED WATER MANAGEMENT SYSTEM

Acknowledging power and water as the lifeblood of industry, CSEZ has taken up the responsibility for ensuring availability of water for industrial purpose. The integrated water management system (IWMS) comprises 2.25 million litres per day (MLD) water treatment plant and 1.8 MLD common effluent treatment plant. These two sub-systems were commissioned in 2004 at a cost of ₹7.78 crores. Raw water is drawn from the nearby Kadamprayar river under an agreement with the Irrigation Department, Govt. of Kerala for which a pump house has been built at Edachira. Treated water is supplied to the entrepreneurs and the effluent is received back for treatment and discharged into the drainage system. This transaction is covered by an agreement entered into with each entrepreneurs

4.2 The IWMS has to appendages; a pressure jet vehicle used to keep the drain free of clogging and incinerator for solid waste which is operated on bio gas generated from food waste in CSEZ. Waste from factories is disposed within the CSEZ in furtherance of the objection of providing a environmentally harmonious industrial area.

4.3 Water is procured at a rate of Rs.2.00 per kilo litre (KL) and supplied at the rate of Rs.25 per KL. Eighty percentage of the water supplied is deemed to emanate and effluent and industrial units are classified in terms of pollution intensity with a differential charges which are

| SL.NO. | CATEGORY | RATE/KL |
|---|---|---|
| 1 | Very high polluting | Rs.58 |
| 2 | High Polluting | Rs.50 |
| 3 | Medium Polluting | Rs.45 |
| 4 | Low Polluting | Rs.35 |
| 5 | Others | Rs.25 |

4.4 The operation of the IWMS has been entrusted to the O & M Agency M/s. Kitco Limited, with the constitution of the Authority. The operation of this account has been brought within the ambit of the Authority Fund.

3.4 के एस ई आर सी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के लिए यूनिटें, एल टी, एच टी , ई एच टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

3.5 बिजली प्रणाली पिछले छ सालों से प्रचालन में है और इस का प्रवर्तन पर ध्यान से निगरानी रख्ती जिससे इस का सुचारु रूप से इस का प्रचालन चल रहा है । इस कार्यकाल मे कोई रुकावट नही हुई और ट्रान्समिशन नष्ट बहुत कम है । उद्यमकर्ता बिजली सेवाओं में संतुष्ट है और कई बार सराहना की है । जो भी हो के एस ई बी से उसी दर पर बिजली मिलना किठन है जिससे बाहर के लोगों को दी जानेवाली बजली दर के बराबर के दर में बिजली प्रदान करने में कठिनाई है । के एस आर ई सी सेज से वसूली बिजली दर दिनांक 1.10.2 से 2011.3 से 75.16/(किरी नही हुई । मे बढा दिया लेकिन रीटेल सप्ले टैरिफ में बढोत्त (वाट पेर अवर. इस आदेश के खिलाफ बिजली अपलट ट्रिबूनल. नई दिल्ली में एक अपील फाइल किया गया है और इस का आदेश की प्रतीक्षा में है ।

## 4. समन्वित जल प्रबंधन प्रणाली

बिजली और पानी उद्योग के जीवन रक्त समझकर, सेस खुद पर औद्योगिक उद्देश्य के लिए पानी का उपल्ब्ध सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ले लिया है । समन्वित जल प्रबंधन प्रणाली में प्रतिदिन 2.25 मिल्यन लिटर्स पानी और 1.8 मिल्यन लिटर्स बहिस्राव का उपचार किया जाता है। इन दोनों उप प्रणालियाँ, वर्ष 2004 में 7.78 करोड रुपये की लगत से चालू किया गया है । केरल सरकार के सिंचाई विभाग के साथ बनाये समझौते के अनुसार, कच्चे पानी इडच्चिरा में बनाये पंप हाउस के जरिये कडंपरयार नदि से लिए जाते है । उपचार किए गए पानी उद्यमियों को सप्लाई की जाती है और उन के कंपनियों के बहिस्राव उपचार के लिए लिए जाते है। इस केलिए प्रत्येक उद्यमियों के साथ समझौते बनाये है ।

4.2 अई डब्लू एम एस के दो उपांग है । नालियों को जाम होने से बचाने केलिए प्रशर जेट का उपयोग किया जाता है और ठोस अपशिष्ट के लिए एक इंसिनेटर चलाया जाता है जो सेस के खाद्य अपशिष्टों से उत्पन्न बयोगैस से चलाया जाता है। फैक्टरियों से निकलनेवाले अपशिष्ट को सेस में ही नष्ट कर दिया जाता है ताकि पर्यावरण के लिए सौहार्दपूर्ण वतावरण प्रदान करने का उद्देश्य को पूरा किया जा सकें ।

4 .3 पानी दो रुपये प्रति किलोलिटर की दर से प्राप्त करते है तथा 25 रुपये प्रति किलोलिटर की दर से सप्लाई किया जाता है । 80 प्रतिशत पानी बहिस्राव के रूप में निर्गत होता है । बहिस्राव, प्रदूषण की तीव्रता के अनुसार विभाजित किया गया है ।

| क्र सं | श्रणी | दर |
|---|---|---|
| 1 | बहुत उच्च प्रदूषणकारी | रु.58/ कि. लि |
| 2 | उच्च प्रदूषणकारी | रु.50/ कि.लि |
| 3 | मीडियम प्रदूषणकारी | रु. 45/ कि. लि |
| 4 | कम प्रदूषणकारी | रु. 35/ कि.लि |
| 5 | अन्य | रु.25/ कि. लि |

4.4 आई डब्लू एम एस का ओपरेशन ओ एम एजन्सी किटको को सौंपा गया है । प्राधिकरण की स्थापना से इस खाते का आपरेशन प्राधिकरण निधी की सीमा मे लाया गया है ।

4.5 Samples are drawn everyday for testing for compliance with standard laid down for river grade water. Routine testing is done by the O & M Agency at the premises but random samples are sent to notified laboratories for validation. Disposal of sledge had been a problem for some years as it had been considered to be a hazardous by the Kerala State Pollution Control Board (KSPCB). An agreement has been entered into with Kerala Enviro Infrastructrure Limited for taking over the sledge generated by the CETP. The entire system is under constant and close monitoring by KSPCB.

## 5. SECURITY

The zone being an area operated under the SEZ Act 2005 is bounded by a compound wall with a single access for goods and two points for entry exit for persons. Entry of persons into the SEZ is permitted only against identity cards issued by the Development Commissioner to employees of the entrepreneur. Movement of goods produced by the entrepreneurs being permitted under exemptions are required to be monitored. Government of India has invested ₹100 crore under in assets for the development of the SEZ. Private Sector investments are also high and are considered highly vulnerable in current security context.

5.2 Considering the nature of security requirement the Zone has its own security force headed by a Security Officer. It comprises of 35 persons designated as Asst. Security Officers, Head Security Guards and Security Guards. They are deployed at the gates for verification of documents of identification of persons and of carriage of goods into and out of the Zone. The documentation which is statutory prescribed in the SEZ Rules, 2006 are dealt with by Customs Officers posted in the Zone as Authorised Officers but the physical verification is the responsibility of the Security Staffs.

5.3 Patrolling of vital installation and of the boundary walls is a necessary part of the Security Drill. To carry on this task the Security staff has been provided with electrically operated scooters, which is in line with the commitment to ecological preservation.

# III. UPGRADATIONS AND ASSET CREATION

## 1. CAPITAL WORKS FOR INDUSTRIES IN THE ZONE.

1.1 The third phase of Common Effluent Treatment Plant (CETP) rendering the system zero discharge is nearing completion, at an estimated cost of ₹ 1.80 Crores.

## 2. SECURITY AND SAFETY UPGRADATION

Considering the scale and magnitude of investments in the zone, as well the need for ensuring the safety of the many individuals working in the zone, a new firefighting system designed at an estimated cost of Rs.1.18 Crores has been completed.

2.2 The need for ensuring safety of property in the Zone and statutory obligation to retain duty-exempt goods within the Zone has brought out the necessity of a zero-tolerance access control system at the entry/ exit point. An automated system that does away with the caprice of human operated gate system at a cost of Rs. 0.60 Crore has been implemented

4.5 नदी के पानी केलिए निधारित ग्रेड के अनुपालन केलिए रोज पानी के नमूने परीक्षण के लिए लेते हैं। ओ एम एजेन्सी द्वारा नियमित परीक्षण परिसर में ही किया जाता है और यादृश्चिक नमुने के सत्यापन के लिए अधिसूचित प्रयोगशाला में भिजवाये जाते है । कुछ वर्षों केलिए कीचड का निपटान एक समस्या हो गई थी क्योंकि करल राज्य प्रदूषण नयंत्रण बोर्ड (के एस पी सी बी) इसे खतरनाक समझ रहे थे । मसर्स केरला एनविरो इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ एक समझौता किया गया है जिस के अनुसार सी ई पी टी से उत्पन्न कीचड एनविरो द्वारा हटाया जाएगा । पूरी प्रणाली पर के एस पी सी द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है ।

## 4. सुरक्षा

यह क्षेत्र एस ई जड अधिनियम 2005 के अधीन कार्यरत होने की वजह से दीवार से धिरा हुआ है, जिस में माल की आवाजाही के लिए एक मार्ग और लोगों को आने जाने के लिए दो मार्ग है । उद्यमियों के कर्मचारियों के प्रवेश के लिए विकास आयुक्त द्वारा जारी पहचान पत्र का प्रदर्शन जरूरी है । उद्यमियों द्वारा छूट के अंतर्गत प्राप्त किए गए माल पर निगरानी रखने की आवश्यकता है । सेस के विकास के लिए भारत सरकार ने सम्पत्ति पर लगभग 100 करोड रुपये का निवेश किया है । निजी क्षेत्र के निवेश भी काफी है और वर्तमान सुरक्षा के संदर्भ में अतिसंवेदनशील समझा गया है ।

5.2 सुरक्षा की आवश्यकता को दखते हुए सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्र में अपनी ही सुरक्षा बल तैनात है । सहायक सुरक्षा अधिकारी, मुख्य सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा गार्ड के पदों पर 35लोग सुरक्षा विभाग में तैनात है । उन्हें गेट में दस्तावेजों की जाँच, व्यक्तियों की पहचान, मालवाहनों और उस में आने जाने वालों की पहचान के लिए गेटमें तैनात किया गया है। सेस नियमावली, 2006 में निधारित नियम के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन प्राधिकृत अधिकारी के रूप में क्षेत्र में तैनात सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा किया जाता है लेकिन भौतिक रूप से सत्यापन की जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मचारियों की हैं ।

5.3 महत्वपूण प्रतिष्ठानों और चारदीवारी की चौकीसी सुरक्षा ड्रिल का एक जरूरी हिस्सा है । इन कार्यो को पूरा करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को इलक्ट्रिक से चलनेवाले स्कूटर प्रदान किए गए हैं, जो पर्यावारण संरक्षणं की प्रतिबधता भी है ।

## ग. प्रोन्नति और परिसंपत्ति का सृजन

### 1. क्षेत्र के उद्योगों के लिए पूंजी कार्य

1.1 शून्य बहिस्राव की सामान्य एफ्लूवन्ट ट्रीटमेन्ट (सी ई टी पी) की तीसरी फेस निर्माणा की स्थिति में है जिस की अनुमानित व्यय 1.80 करोड है ।

### 2. सुरक्षा और सुरक्षा उन्नयन

क्षेत्र में किए गए निवेश के पैमाने को देखते हुए और वहाँ कार्यरत लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नया अग्निशमन प्रणाली का डिजाईन तैयार किया गया है जिस का अनुमानित लगत रुपये 1.18 करोड की है ।

2.2 क्षेत्र की संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और शुल्क में छूट प्राप्त वस्तुओं के संवैधानिक दायित्व को बनाए रखने के लिए प्रवेश/ निकासी स्थान पर जीरो टोलरेंस अक्सस कंट्रोल सिस्टम लगाना जरूरी है । मानव संचालित गेट प्रणाली के बदले में स्वचालित गेट प्रणाली डिजाइन तैयार किया गया है, जिसके कार्यान्वियन के लिए रु. 0.60 करोड की लगत का अनुमान लगया गया है ।

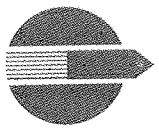

## 3 FACILITIES FOR STAFF

The staff of the zone occupy the Administrative Building which is almost twenty years old. The interiors require alteration to make working conditions more comfortable and to align with workflows. Incorporating technology for automation and communication, a design for refit of the administrative building at a cost of Rs.2.41 Crores has been done.

## IV OTHER MATTERS

## 1 MEETINGS

The Authority had 3 meetings in 2013-14. The following were the major decisions of the CSEZ Authority during the year:-

(i) Approved the Budget Estimates for the year 2013-2014
(ii) Decided to transfer surplus funds to fixed deposits in Nationalised banks
(iii) Approved the annual accounts of CSES Authority for the year 2012-13
(iv) Approved to open two new bank accounts with nationalized bank for accepting remittance towards power charges & lease rent and also to open required virtual accounts.
(v) Approve the proposal to acquire land available at FACT, Cherthala, kalamasserry as expansion of Phase-II of CSEZ.
(vi) Approved to enhance the present lease rent rates for plots and built-up area by 25% and to collect one year lease rent as security deposit in addition to advance quarterly rent. It was also approved that the revised rates shall be applicable to new allotments made with effect from 1st April 2013 and in case of existing allottees, the revised rates shall be applicable with effect from the date of renewal of existing lease deeds.
(vii) Approved enhancement in tariff of incineration w.e.f. 1st January 2014
(viii) Approved the proposal to install 200 kWp grid interactive Solar roof top system to meet solar power obligation at an estimated cost of ₹3 crore.
(ix) Approved to sanction 10 posts of Security Guards on contract basis (outsourcing basis) for a period of one year after inviting tenders and to fill up six posts immediately.
(x) Approved continuation of M/s.Kitco Ltd. As the O & M agency for utilities (IWMS & Power distribution) and consultants for major and minor works undertaken by CSEZA for the year 2014-15.

## 2. RELATIONSHIP WITH O & M AGENCY

The O & M Agency, M/s.Kitco Limited has been handling the implementation of all minor works relating to maintenance all major works of capital nature. This includes designing, preparation of estimates, invitation of expression of interest, tenders and supervision.

The Chairman holds regular meetings with the Senior Officials of M/s.Kitco Limited for routine operations and maintenance, staff under the leadership of a General Manager, comprising engineers and technicians are posted in the Zone.

2.2 The General upkeep and cleanliness has been outsourced on annual maintenance charge basis to a cleaning agency. The Green areas are maintained by another agency which handles the arboriculture and horticulture operations.

3. कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

क्षेत्र के कर्मचारी उस प्रशासनिक भवन में काम करते है जो 20 साल पुराना है । काम करने की स्थिति को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और कार्य को कुशलता से निपटाने के लिए भवन के भीतर परिवर्तन करना आवश्यक है । संचार व्यवस्था को शामिल करते हुए प्रशासनिक भवन को स्वचालित करने हेतु नवीकरण करने के उद्देश्य से रूपये 2.41 करोड रुपये आहरणा किया ।

**घ**. अन्य मामले

1.बैठकें

वर्षा 2013-14 के दौरान प्राधिकरणा की 3 बैठकें हुई । प्राधिकरणा के संबंध में वर्षा के दौरान निमनलिखित निर्णय लिए गए ।

i. वर्ष 2013-14 बजट प्रांकलन अनुमोदित किया ।
ii. शेष निधि राष्ट्रीकृत बैंक में जमा करने का निर्णय लिया गया ।
iii. वर्ष201 2-13 के वार्षिक लेखा का अनुमोदन किया
iv. राष्ट्रीकृत बैंकों में दो खाते खोलने का अनुमोदन किया जिस में बिजली चार्ज और पट्टे किराये स्वीकृत किया जा सकता है ।
v. एफ. ए. सी टी के चेर्तला और कलमश्शेरी में उपलब्ध जमीन खरीदने का प्रस्ताव अनुमोदित किया जिससे प्राधिकरण का फेस 2 का विस्तार किया जा सके ।
vi. पट्टे किराये में 25 प्रतिशत् वृद्धि करने का प्रस्ताव और तिमाही किराये के अलावा सुरक्षा जमा के रूप में एक वर्ष के किराये प्रशगी के रूप में लेने के प्रस्ताव अनुमोदित किया ।नये यूनिटों केलिए संशोधित दर दिनांक 1.4.2013 से लागू कराने का प्रस्ताव एवं वर्तमान युनिटों केलिए संशोधित दर उनके पट्टे एग्रीमेन्ट के नवीकरण से लागू होगा ।
vii. इंसिनरेशन चार्ज की वृद्धि 1.1.2014 से लागू करने का प्रस्ताव पारित किया ।
viii. 200 किलो वाट पेर घंटे के बिजली उत्पादन के लिए सोलार रूफ टोप सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया । उस के अनुमानित लगत तीन करोड रुपये है ।
ix. टेके आधार पर 10 सुरक्षा गार्ड के पद सृजन के लिए टेंटर करने और 6 पद तुरंत भरने का प्रस्ताव अनुमोदित किया !
x. 2014-15 वर्ष केलिए ओ एन्ड एम एजन्सी नसी के ल्टऔर कन्स( एम एस और बिजली वितरणआई डब्ब्लू) रूप में किटको को जारी ककरने का निर्णय लिया गया ।

2.ओ एम एजन्सी के साथ संबंध

ओ **एन्ड** एम एजन्सी किटको लिमिटेड, मरम्मत संबंधित सभी छोटे कार्य तथा पूँजीगत प्रकृति के मुख्य कार्य करते है । इस में डिजाइनिंग, आकलन तैयार करना, इच्छा प्राप्त करना, निविदा और उस का पर्यवेक्षण शामिल है । **सेजा के** अध्यक्ष, मसर्स किटको लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें आयोजित करती है । दैनिक काम और मरम्मत के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में तकनीशियन और इंजिनीयर सहित कर्मचारी कार्यरत है ।

2.2 सामान्य रखरखाव और सफाई वार्षिक रखरखाव शुल्क के आधार पर एक सफाई एजन्सी को आउट सोर्स किया गया है । हरे भरे क्षेत्रों का रखरखाव वृक्ष संवर्धन और बागवानी से परिचित एक दूसरा एजन्सी द्वारा किया गया है ।

## 3. Relationship with Lessees:

The Authority maintains a good relationship with lessees. The CSEZ Industry Association (CSEZIA) is an active body and the Chairman holds regular consultative meetings with its Executive Committee. Legal disputes with lessees are very few in number.

3.2 The Canteen inside the Zone is run by the CSEZIA. An ESI dispensary functions in the processing area where a physician attends on all working days. CSEZIA operates a creche inside the zone in the premises leased to them. A foreign post office, two banks and an Offshore Banking Unit operate in the administrative building. The video conferencing facility of the Authority is permitted to be used by lessees for their requirements on payments of user fee.

## 4 LAND ACQUISITION CASES

The land for the Cochin SEZ was acquired in the years 1984 – 86. There were 127 Land Acquisition References filed in the Sub. Court in all which Court had awarded enhancements. The rate of enhancement was reduced by the High Court in the appeals filed by the Government. The Supreme Court has also upheld the verdict of the High Court. However, there had been disputes in finalizing the amount payable to the land owners with regard to interest payment on solatium owing to conflicting interpretations in the judgments given by various courts. Final settlement, therefore, could not be achieved so far. Government has deposited ₹12.00 crores with the State Government towards payment of the enhanced compensation. However, the actual amount may exceed the deposit amount once the disputes are finally settled.

## 5 RELATIONSHIP WITH STATUTORY AGENCIES

There is harmonious coordination with KSERC and KSPCB. During the year, KSERC held a meeting as required for approving the ARR and ERC. Returns required to be filed with KSERC has been complied with punctually.

5.2 The suggestions and evaluations of KSPCB have been promptly considered and deadlines for compliance adhered to.

5.3 Interaction with Debt Recovery Tribunal, Official Liquidator and Registrar of Companies have been regular and for mutual interest.

## 6. RELATIONSHIP WITH STATE AGENCIES

There is regular interaction with the officials of Government of Kerala. Issues of importance are taken up with District Collector and senior police officials who deal with them in appropriate manner. There has been wholehearted co-operation from the police whenever law and order issues were apprehended.

6.2 Relationship with Fire Service, District Labour Officer, Inspectorate of Factories & Boilers, Electrical Inspectorate, Irrigation Department and the local Municipality is smooth. Many public initiatives of the Municipality are supported by the entrepreneurs through the Authority. There has been some dissonance in relations with the Kerala State Electricity Board in matters relating to enhancement of contractual demand and in the rates charged by them on supply of energy in bulk.

### 3. पट्टेधारियों के साथ संबंध

प्राधिकरण पट्टेधारों के साथ अच्छा संबंध बनाये रखती है । सेस उद्योग संघ (सेसिया) एक सक्रिय निकाय है जिसकी कार्यपालक समिति बैठकें नियमित रूप से आयोजित करती है । पट्टेदारों के साथ कानूनी विवाद बहुत ही कम है ।

3.2 क्षेत्र के भीतर की कैन्टीन सेसिया (सेस इंडस्ट्रियलिस्ट असोसिएशन) द्वारा संचालित है । सेस में एक दवाखाना कार्यरत है जहाँ एक फिसिशियन सभी कार्यदिवस में आता है ।सेसिया सेान के अंदर पट्टे पर एक बालगृह भी चलाया जाता है । प्रशासनिक भवन में एक विदेशी डाक कार्यालय, दो बैंक और एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कार्यरत है । प्राधिकरण के वीडियो कोन्फरंसिंग सुविधा उपभोक्ता शुल्क देकर पट्टेदार उपयोग कर सकते हैं।

### 4. भूमि अधिग्रहण मामले

कोच्चिन सेस के लिए भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1984-86 में किया गया था । 127 अधिग्रहण मामले उप न्यायालय में फाइल किया गया जिन में न्यायालय ने संवर्धन प्रदान किया गया था । सरकार द्वारा की गई अपील पर उच्च न्यायालय ने संवर्धन को कम कर दिया था । उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया था । उस के बावजूद विभिन्न अदालतों द्वारा दिये गये निर्णय में परस्पर विरोधी व्याख्याओं के कारण व्याज के भुगतान के संबंध में जमीन के मालिकों को देय राशि को अंतिम रूप देने में विवाद था । इसलिए अब तक अंतिम निपटान नही किया जा सका । बढाए गए मुआबजे के भुगतान के लिए सरकार ने रु.12.00 करोड राज्य सरकार के पास जमा कर दिया है । इसलिए विवाद के अंत में वास्तविक राशि जमा राशि से अधिक भी हो सकता है ।

### 5. वैधानिक एजन्सियों के साथ संबंध

के एस ई आर सी और के एस पी सी बी के साथ काफी सौहार्दपूर्ण समन्वय बनी हुई है । ए आर आर एन्ड इ आर सी के अनुमोदन केलिए के एस आर ई सी दो बैठकें आयोजित की है । के एस आर ई सी के साथ फाइल किए जाने वाली विवराणी को समय पर समेकित कर लिया गया है ।

5.2 के एस पी सी बी के सुझाव और मूल्यांकन पर उचित तरीके से विचार किया गया है और अनुपालन के लिए समयसीमा का पालन किया जा रहा है ।

5.3 ऋण वसूली अधिकरण, सरकारी समापक और कंपनी पंजीयक के साथ आपसी हित केलिए नियमित संपर्क बनाए रखा गया है ।

### 5. राज्य एजन्सियों के साथ संबंध

केरल सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनी हुई है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्राथमिकता के अनुसार जिला कलक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ व्यवहार किया जाता है । कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर पुलिस द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है ।

6.2 अग्निशमन सेवा, जिला श्रम अधिकारी, विद्युत निरीक्षणालय, सिंचाई विभाग और स्थानीय पंचायत के साथ अच्छा संबंध बनाए रखा गया है । पंचायत के कई सार्वजनिक कार्यक्रम को प्राधिकरण के माध्यम से उद्यमी समर्थन देते हैं । केरल राज्य बिजली बोर्ड के साथ संविदा के दर बढाने के संबंध में कुछ मतभेद है, जिस में एनर्जी अधिक रूप में देने के अनुसार चार्ज किया जाता है ।

6.3 Regular discussions and meetings are held with key functionaries of Industries Department, Commercial Taxes Department and Power Department especially at the level of Principal Secretary. Government of Kerala has notified the zone as an Industrial Township with Single Window Clearance mechanism and has notified the Development Commissioner as conciliation officer under the Industrial Disputes Act.

## V. ACKNOWLDGEMTNS

The Authority is grateful for the support extended by the Ministry of Commerce & Industry, Government of India and, in particular, the leadership and guidance of Dr Rahul Khullar, IAS, Commerce Secretary and Shri Madhusudhan Prasad, IAS, Additional Secretary, Shri Anup Wadhawan, IAS, Joint Secretary and other officials of the Department of Commerce have responded with alacrity whenever assistance was required.

1.2 The Authority expresses gratitude to the Government of Kerala and its agencies for the continued support to the zone.

1.3 The efforts of the Chairman, the Managing Director and the officials of M/s. KITCO Ltd, in operation of utilities, upkeep and maintenance is acknowledged with thanks.

1.4 The reputation of the zone is the result of efforts of the entrepreneurs, the workforce and labour leaders, and not least, all the five preceding Development Commissioners, who during their tenures, added to the infrastructure facilities and created systems which have had a major impact. We also express our gratitude to the former Chairman Shri C.J. Mathew, IRS for his guidance and contribution.

1.5 This Annual Report and accolades for the excellent performance is dedicated to the officials of the zone who have, with team work and dedication, ensured that best practices have been adopted here.

For Cochin Special Economic zone Authority

Sd/-
(Ajayakumar K .N.)
Secretary (i/c)

sd/-
(Dr. Safeena A.N)
Chairperson

6.3 उद्योग विभाग, वाणिज्य कर विभाग और विद्युत विभाग के प्रमुखों के साथ विशेषत: प्रधान सचिव के स्तर पर विचार विमर्श और बैठकें आयोजित की जाती है । इस क्षेत्र को केरल सरकार द्वारा सिंगल विन्डो क्लियरंस के साथ औद्योगिक टाउनशिप के रूप में अधिसूचित किया गया और विकास आयुक्त को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत समझौता अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

आभार

प्राधिकरण भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों, विशेषकर डॉ राहुल कुल्हर भा प्र से , वाणिज्य सचिव, **श्री मधुसुदनन प्रसाद** भा प्र से , अतरिक्त सचिव, श्री **अनुप वाध्वान** भा प्र से, संयुक्त सचिव **और वाणिज्य विभाग के अन्य अधिकारियां तत्परता से आवश्यकतानुसार सहयोग दिया ।**

1.2 प्राधकरण क्षेत्र को निरंतर समर्थन के लिए केरल राज्य सरकार तथा उनकी एजेन्सियों को अपने आभार व्यक्त करती है ।

1.3 मेसर्स किटको लिमिटड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कर्मचारियों को जिन्होंने यूटिलिटीस के प्रचालन और मर्मत कार्य करने के प्रयासों के लिए आभार प्रकट करना चाहते है ।

1.4 इस क्षेत्र की गरिमा उद्यमियों, कर्मचारियों और श्रमिक नेताओं के प्रयास का परिणाम है। इस के अलावा पूर्व के **पांचों** विकास आयुक्त जिन्होने अपने कार्यकाल के दौरोन काफी बाह्यसंरचनाएं खडी की, सुविधाएं आरंभ की जिसका प्रभाव क्षेत्र पर बहुत अच्छा पडा है । **हमारे पूर्व विकास आयुक्त श्री सी जे मात्यू आई आर एस को भी अपनी मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार प्रकट करते है ।**

1.5 यह वार्षिक रिपोर्ट और श्रेय क्षेत्र के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्होंने समर्पण और टीम भावना के साथ यहाँ अपनाई जा रही अच्छे कार्यों को सुनिश्चित किया है

कृते कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

(अजयकुमार के एन )
सचिव (प्रभारी)

(डा सफीना ए एन)
अध्यक्ष

# वार्षिक लेखा

# ANNUAL ACCOUNTS

## 2013-14

## COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

### Balance Sheet as at 31st March 2014

| Previous Year 31-Mar-13 (Rs.) | Particulars | Schedule | Current Year 31-Mar-14 (Rs.) | (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| | **CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES** | | | |
| 1,04,70,22,196 | Capital Fund | 1 | | 1,17,66,30,833 |
| 16,44,68,250 | Current Liabilities and Provisions | 2 | | 21,71,54,361 |
| 1,21,14,90,446 | **TOTAL** | | | 1,39,37,85,194 |
| | **ASSETS** | | | |
| | Fixed Assets | 3 | | |
| 59,50,32,896 | Gross Block | | 59,93,16,738 | |
| 12,05,02,515 | Less : Accumulated Depreciation | | 14,74,78,707 | 45,18,38,031 |
| 47,45,30,381 | Net Block | | | |
| 7,09,40,000 | Capital work in progress | | | 7,26,72,052 |
| | **Current Assets, Loans and Advances** | | | |
| 5,81,907 | (a) Inventory | 4 | | 4,49,988 |
| 75,59,358 | (b) Receivable from Units | 5 | | 1,29,03,166 |
| 63,31,70,961 | (c) Cash and Bank Balances | 6 | | 82,68,62,219 |
| 2,43,10,759 | (d) Other Current Assets | 7 | | 2,87,28,835 |
| - | (e) Loans and Advances | - | | - |
| 3,97,080 | Miscellaneous Expenditure | 8 | | 3,30,900 |
| | (To the extent not written off or adjusted) | | | |
| 1,21,14,90,446 | **TOTAL** | | | 1,39,37,85,194 |
| | Significant Accounting Policies | 19 | | |
| | Notes on Accounts | 20 | | |

The Schedules referred to above form an Integral part of these Accounts.

(Dr. Safeena A N IAS)
Chairperson

(Ajayakumar K N )
Secretary-in-Charge

## कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

### तुलन पत्र 31 मार्च 2014

| पूर्ववर्ष 31 मार्च 2013 (रु) | ब्यौरे | अनुसूचियां | चालू वर्ष 31 मार्च 2014 (रु) | (रु) |
|---|---|---|---|---|
| | **संग्रह पंजी निधि एवं दायित्व** | | | |
| 1,047,022,196 | **पूंजी निधि** | 1 | | 1,176,630,833 |
| 164,468,250 | **चालू दायित्व एवं प्रावधान** | 2 | | 217,154,361 |
| 1,211,490,446 | **कुल** | | | 1,393,785,194 |
| | **आस्तियां** | | | |
| | **स्थित आस्तियां** | 3 | | |
| 595,032,896 | निविल ब्लाक | | 599,316,738 | |
| 120,602,515 | घटाना - संचित मूल्यह्वास | | 147,478,707 | 451,838,031 |
| 474,530,381 | निविल ब्लाक | | | |
| 70,940,000 | पूंजी कार्य प्रगति | | | 72,672,052 |
| | **चालू आस्तियां,कर्ज एवं अग्रिम** | | | |
| 581,907 | (क) वस्तुसूची | 4 | | 449,988 |
| 7,559,358 | (ख) यूनिटों से प्राप्य | 5 | | 12,903,166 |
| 633,170,961 | (ग) नकद एवं बैंक शेष | 6 | | 826,862,219 |
| 24,310,759 | (घ) अन्य चालू आस्तियां | 7 | | 28,728,835 |
| - | (ड) कर्ज एवं अग्रिम | | | - |
| 397,080 | **मिश्रित व्यय** (बट्टे खाते में नही डाले गये या समायोजित ) | 8 | | 330,900 |
| 1,211,490,446 | **कुल** | | | 1,393,785,194 |
| | **मुख्य लेखा नीतियों** | 19 | | |
| | **लेखा संबंधित टिप्पणियों** | 20 | | |

उपरोक्त संबंधी अनुसूचियां लखा के अभिन्न अंग है

(डां सफीना ए एन, आई ए एस )
अध्यक्ष

(अजयकुमार के एन )
कार्यभारी सचित

## COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

### Income and Expenditure account for the year ended 31st March 2014

| Year ended 31-Mar-13 (Rs.) | Particulars | Schedule | Year ended 31-Mar-14 (Rs.) |
|---|---|---|---|
| | **INCOME** | | |
| 10,15,34,975 | Lease Rent | 9 | 10,06,72,179 |
| 28,74,82,986 | Income from Power Distribution | 10 | 31,71,37,756 |
| 1,55,72,894 | Water Charge | | 1,61,18,973 |
| 1,49,16,045 | Effluent Treatment Charges | | 1,58,96,274 |
| 1,56,212 | Incineration Charge | | 91,215 |
| 3,30,51,638 | Interest Income | 11 | 4,61,73,695 |
| 23,99,980 | Other Income | 12 | 18,02,039 |
| - | Excess Provision written back | | |
| **45,51,14,731** | **TOTAL -(A)** | | **49,78,92,132** |
| | **EXPENDITURE** | | |
| 29,09,54,562 | Power Distribution | 13 | 30,54,11,678 |
| 91,03,499 | Water Distribution | 14 | 93,84,302 |
| 83,63,032 | Effluent Treatment | 15 | 1,00,98,432 |
| 2,83,330 | Incinerator Expenses | 16 | 20,04,405 |
| 1,15,12,589 | Other Administration Expenses | 17 | 1,46,99,612 |
| 2,76,18,881 | Depreciation | 3 | 2,69,76,191 |
| **34,78,35,893** | **TOTAL -(B)** | | **36,85,74,620** |
| **10,72,78,838** | **Excess of Income Over Expenditure-(A-B)** | | **12,93,17,512** |
| - | **Excess Provision Written back** | | 2,91,126 |
| | | | **12,96,08,638** |
| **22,26,97,960** | **Balance brought forward from previous year** | | **32,99,76,798** |
| **32,99,76,798** | **Balance carried to Capital Fund** | | **45,95,85,435** |
| | **Significant Accounting Policies** | 18 | |
| | **Notes on Accounts** | 19 | |

The Schedules referred to above form an Integral part of these accounts.

(Dr. Safeena A N IAS)
Chairperson

(Ajayakumar K N )
Secretary-in-Charge

## कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

## वर्ष 2014 मार्च31की आय और व्यय लेखा

| वर्ष 2013 मार्च 31 को समाप्त (रु) | ब्यौरे | अनुसूचियां | 2014 मार्च 31 को समाप्त (रु) |
|---|---|---|---|
| | आय | | |
| 101,534,975 | पट्टा किराया | 9 | 100,672,179 |
| 287,482,986 | पावर वितरण से आय | 10 | 317,137,756 |
| 15,572,894 | वाटर चार्ज | | 16,118,973 |
| 14,916,045 | बहिस्राव उपचार चार्ज | | 15,896,274 |
| 156,212 | इंसिनेटर चार्ज | | 91,215 |
| 33,051,638 | आय पर ब्याज | 11 | 46,173,695 |
| 2,399,980 | अन्य आय | 12 | 1,802,039 |
| - | वापस लाये गये अतिरिक्त प्रावधान | | |
| 455,114,731 | कुल (ए) | | 497,892,132 |
| | व्यय | | |
| 290,954,562 | पवर वितरण | 13 | 305,411,678 |
| 9,103,499 | पानी वितरण | 14 | 9,384,302 |
| 8,363,032 | बहिस्राव उपचार | 15 | 10,098,432 |
| 283,330 | इंसिनेटर चार्ज | 16 | 2,004,405 |
| 11,512,589 | अन्य प्रशासनिक व्यय | 17 | 14,699,612 |
| 27,618,881 | मूल्यह्रास | 3 | 26,976,191 |
| | | | |
| | कुल (बी) | | |
| 347,835,893 | हव्यय पर अधिक आय-(ए-बी) | | 368,574,620 |
| | व्यय पर अधिक आय (ए-बी) | | 12,93,17,512 |
| 107,278,838 | डूबा ऋण केलिए अधिक प्रावधान | | 2,91,126 |
| | | | 129,608,638 |
| 222,697,960 | पूर्व वर्ष से लाया गया | | 329,976,798 |
| 329,976,798 | पुंजी निवेश पर लाया गया शेष | | 459,585,435 |
| | महत्वपूर्ण लेखा नीति | 18 | |
| | लेखा टिप्पणी | 19 | |

उपरोक्त संबधी अनुसूचियां लेखा से अभिन्

(डा.सफीना ए एन )
अध्यक्ष

(अजयकुमार के एन)
कार्यभारी सचिव

## COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

### Receipts & Payments Account for the year ended 31st March 2014

| Year ended 31-Mar-13 (Rs.) | Receipts | Year ended 31-Mar-14 (Rs.) | Year ended 31-Mar-13 (Rs.) | Payments | Year ended 31-Mar-14 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Opening balance** | | | **Fixed Assets & WIP** | |
| 51,69,19,455 | Bank | 63,31,69,815 | 21,26,776 | Purchase of Assets | 42,83,842 |
| - | Cash in hand | 1,146 | 2,84,19,551 | Advance for Capital works | 17,32,052 |
| | **Collection from units** | | | **Operating Expenses** | |
| 10,33,98,842 | Lease rental- Estate | 9,98,48,844 | 99,92,993 | Other administrative Expenses | 1,60,37,558 |
| 37,96,168 | Auction receipts pending adjustments | - | 28,23,47,466 | Expenses- Power distribution | 30,61,33,945 |
| 28,64,84,376 | Power distribution | 32,09,17,779 | 1,77,28,598 | Expenses- IWMS | 2,12,26,483 |
| 3,09,06,872 | Water & effluent treatment | 3,28,03,763 | | **TDS Remitted** | 19,27,472 |
| | **Other income** | | - | **Refund to Govt-ASIDE Fund** | - |
| | | | | **Others** | |
| 9,99,980 | Other income | 4,02,039 | 42,437 | Refund of Deposits | 67,383 |
| 3,02,97,784 | Interest and Penalties Received | 4,18,22,399 | | Advance to Suppliers | |
| | **Grant in Aid** | | - | Disbursements fromAuction Proceeds | - |
| 8,74,842 | Govt. Grant- ASIDE Fund(Interest) | 15,97,576 | | **Closing Balance** | |
| | Govt. Grant- ASIDE Fund | 4,50,00,000 | | | |
| | **Others** | | 10,53,27,996 | Balance with Bank- Current A/cs | 10,19,46,431 |
| 1,50,464 | Security Deposit | 7,80,122 | 46,00,41,819 | Balance with Bank- Fixed Deposits | 60,96,37,060 |
| | TDS Deducted | 19,27,472 | 6,78,00,000 | Balance with Bank- ASIDE Fund | 5,02,71,868 |
| | | | | State Bank Of India (Aside Fund) | 6,50,00,000 |
| | | | 1,146 | Cash in Hand | 6,860 |
| 97,38,28,782 | | 1,17,82,70,956 | 97,38,28,782 | | 1,17,82,70,956 |

(Dr. Safeena A N IAS)
Chairperson

(Ajayakumar K N)
Secretary-in-Charge

COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

**वर्ष 2014 मार्च 31 की समाप्ति पर प्राप्तिर एवं भुगतान संबंधित लेखा**

| वर्ष 2015मार्च 31 को समाप्त (रु) | प्राप्तिम | वर्ष 2016 मार्च 31 को स (रु) | वर्ष 2015मार्च 31 को समाप्त (रु) | भुगतान | वर्ष 2016 मार्च 31 को समाप्त् (रु) |
|---|---|---|---|---|---|
| | आदिशेष | | | स्ति र आस्तिऽयां और डबलू आई पी | |
| | बैंक | 633,169,815 | | आस्तिeयों की खरीद | |
| | | 1146 | | | |
| 516,919,455 | | | | | |
| | नकद | | 2,126,776 | पूंजी र्का के लए अग्रिम | 4,283,842 |
| | | | 28,419,551 | | 1,732,052 |
| | यूनिटों से वसूली | | | प्रचालन व्ययय | |
| | पट्टा किराया- संपदा | | | अन्य प्रशासन व्यशय | |
| 103,398,842 | नीलाम से प्राप्तट एडज | 99,848,844 | 9,992,993 | पवर वितरण व्ययय | 16,037,558 |
| 3,796,168 | पावर वितरण | - | 282,347,466 | आइ डबलू एम एस व्यएय | 306,133,945 |
| 286,484,376 | पानी एव्र बहिस्राव उपच | 320,917,779 | 17,728,598 | स्रोत पर आय कटौती | 21,226,483 |
| 30,906,872 | अन्य आय | 32,803,763 | | सरकारी असाइड फंड रीफंड | 1,927,472 |
| | | | - | अन्य | - |
| | अन्य आय | | | पूर्व दत्तय व्य्य | |
| | ब्या ज एवं दंड | | | सप्लयेर्स को | |
| 999,980 | प्राप्ति | 402,039 | 42,437 | अग्रिम | 67,383 |
| 30,297,784 | अनुदान एवं सहायिकी | 41,822,399 | | नीलाम से उठाया गया | |
| | सरकार अनुदान – | | - | अंतिम शेष | - |
| | एसाइड फंड (ब्याडज) | | | | |
| 874,842 | सरकार अनुदान, एसाइड | 1,597,576 | | | |
| | अन्यड | 45,000,000 | | बैंक खाते में बाकी | |
| | सुरक्षा जमा | | 105,327,996 | आवधिक जमा में बैंक में बाकी | 101,946,431 |
| 150,464 | स्रोत पर कटौती | 780,122 | 460,041,819 | असाई फंड बाकी बैंक में | 609,637,060 |
| | | 1,927,472 | 67,800,000 | भारतीय स्टेभट बैंक असाईड फंड | 50,271,868 |
| | आदिशेष | | | नकद | 65,000,000 |
| | बैंक | | 1,146 | स्ति र आस्तिऽयां और डबलू आई पी | 6,860 |
| | नकद | | | आस्तिeयों की खरीद | |
| | | | | पूंजी र्का के लए अग्रिम | |
| 973,828,782 | यूनिटों से वसूली | 1,178,270,956 | 973,828,782 | | 1,178,270,956 |

(अजयकुमार के एन)
कार्यभारी सचित

(डा.सफीना ए एन)
अध्यक्ष

# लेखासंबंधित अनुसूचियां

# SCHEDULES TO ACCOUNTS

## 2013-14

## COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
### Schedules forming part of the financials statements

| As at 31-Mar-13 (Rs.) | | | As at 31-Mar-14 (Rs.) |
|---|---|---|---|
| | **SCHEDULE -1** | | |
| | **CAPITAL FUND** | | |
| 71,70,45,398 | Balance at the beginning of the year | | **71,70,45,398** |
| - | Add: Capital Assets /(Refunds) during the year | | **-** |
| 71,70,45,398 | | | **71,70,45,398** |
| 32,99,76,798 | Add: Net Income transferred from the Income & Expenditure Account | | **45,95,85,435** |
| 1,04,70,22,196 | | | **1,17,66,30,833** |
| | **SCHEDULE - 2** | | |
| | **CURRENT LIABILITIES** | | |
| | **Lliabilities (Earmarked Funds)** | | |
| 6,78,00,000 | ASIDE Fund ( Unutilised) | **11,28,00,000** | |
| 2,98,00,000 | ASIDE Fund ( Utilised for WIP) | **2,98,00,000** | |
| 8,74,842 | Interest on ASIDE Fund | **24,72,418** | |
| **9,84,74,842** | | | **14,50,72,418** |
| | **Security Deposits** | | |
| 11,03,493 | Security Deposits-Power Distribution | **18,02,905** | |
| 59,45,140 | Security Deposits-IWMS | **60,15,850** | |
| 65,000 | Earnest Money Deposit-IWMS | **75,000** | |
| 19,306 | Other Deposits | **19,306** | |
| **71,32,939** | | | **79,13,061** |
| | **Sundry Creditors** | | |
| 4,59,527 | Kitco - Estate maintenance | **6,20,821** | |
| - | Estate | **29,000** | |
| 2,67,08,412 | Power Distribution | **2,37,14,468** | |
| 9,68,918 | IWMS | **9,12,773** | |
| **2,81,36,857** | | | **2,52,77,062** |
| | **Advances** | | |
| 82,98,530 | Advance Rent- Estate | **1,40,42,683** | |
| 1,57,89,456 | Advance for Power Distribution | **1,98,11,694** | |
| 1,18,677 | Advance for Utilities-IWMS | **1,80,082** | |
| **2,42,06,662** | | | **3,40,34,459** |
| | **Expenses Payable Others** | | |
| 14,98,511 | Electricity Duty | **-** | |
| 24,000 | Legal Fee | **24,000** | |
| 1,17,000 | Accounting Consultancy Fee | **1,17,000** | |
| | Supply surcharge payable | | |
| 78,509 | License Fee KSERC | **-** | |
| 1,06,435 | Wages - Security | **1,18,500** | |
| 21,000 | Incentive | **21,000** | |
| 1,23,948 | Water Cess | **1,17,488** | |
| | Water Analysis charges | | |
| 1,35,068 | Electricity Charge-pump house | **1,15,635** | |
| 75,199 | Miscelleneous | **8,006** | |
| 9,50,000 | Kitco Ltd. (Operaton & Maintenance) | **9,50,000** | |
| 11,051 | Sludge removal Charges | **-** | |
| 4,784 | Telephone Charges | **14,287** | |
| **31,45,505** | | | **14,85,916** |
| | **Other Liabilities** | | |
| 23,93,011 | Auction proceeds- GOK Industries | **23,93,011** | |
| 9,78,434 | Auction proceeds- Konchery weavers | **9,78,434** | |
| 33,71,445 | | | **33,71,445** |
| **16,44,68,250** | | | **21,71,54,361** |

| कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण<br>उपरोक्त संबंधी अनुसूचियां लेखा के भाग है | | | |
|---|---|---|---|
| 31 मार्च -13 के अनुसार (रु) | | 31 मार्च-14 के अनुसार (रु) | |
| | अनुसूची -1 | | |
| | पूंजी निधि | | |
| 717,045,398 | वर्षारंभ का शेष | | 717,045,398 |
| - | वर्ष के दौरान पूंजी/ वापसी जोड | | |
| 717,045,398 | | | 717,045,398 |
| 329,976,798 | आय और व्याय लेखा से अंतरित शुद्ध आय जोड | | 459,585,435 |
| 1,047,022,196 | | | 1,176,630,833 |
| | अनुसूची - 2 | | |
| | चालू दायित्ववव | | |
| | दायित्व (अंकित निधि) | | |
| 67,800,000 | ए एस आइ डी निधि( अप्रायोजित ) | 112,800,000 | |
| 29,800,000 | ए एस आइ डी निधि( डब्लूय आइ पी के लिए प्रायोजित ) | 29,800,000 | |
| 874,842 | ए एस आइ डी निधि पर ब्यांज | 2,472,418 | |
| **98,474,842** | | | 145,072,418 |
| | सुरक्षा जमा राशि | | |
| 1,103,493 | सुरक्षा जमा पावर वितरण | 1,802,905 | |
| 5,945,140 | सुरक्षा जमा –आइ डब्लूत एम एस | 6,015,850 | |
| 65,000 | बयाना जमा आइ डब्लू– एम एस | 75,000 | |
| 19,306 | अन्या जमा | 19,306 | |
| **7,132,939** | | | 7,913,061 |
| | सैंड्री क्रेडिटर्स | | |
| 459,527 | किट्को को देय –संपदा | 620,821 | |
| - | किट्को को देय – पूंजी कार्य संपदा | 29,000 | |
| 26,708,412 | संपदा | 23,714,468 | |
| 968,918 | पावर वितरण | 912,773 | |
| **28,136,857** | आइ डब्लू एम एस | | 25,277,062 |
| | अग्रिम | | |
| 8,298,530 | किराया संपदा- अग्रिम | 14,042,683 | |
| 15,789,456 | पावर वितरण अग्रिम | 19,811,694 | |
| 118,677 | अपयोगिताओं के लिए अग्रम – आइ डब्लू एम एस | 180,082 | |
| **24,206,662** | | | 34,034,459 |
| | अन्यग देय व्यअय | | |
| 1,498,511 | बिजली कर | | |
| 24,000 | कानूनी खर्च | 24,000 | |
| 117,000 | लेखा परीक्षा खर्च | 117,000 | |
| | लेखांकन परामर्श खर्च | | |
| 78,509 | लाइसेंस फी के सी आर सी | | |
| 106,435 | सुरक्षा – वेतन | 118,500 | |
| 21,000 | प्रोत्सा हन | 21,000 | |
| | पानी अधिकर | | |
| 123,948 | पनी विश्लेहषण चार्ज | 117,488 | |
| 135,068 | बिजली चार्ज – पंप हाउस | 115,635 | |
| 75,199 | मिश्रित | 8,006 | |
| 950,000 | किट्को लि. (प्रचालन एवं मर्मत) | 950,000 | |
| 11,051 | कीचट हटाने का चार्ज | | |
| 4,784 | टेलफोन चार्ज | 14,287 | |
| **3,145,505** | | | 1,485,916 |
| | देय पट्टा किराया | | |
| 2,393,011 | प्रशासनिक व्यिय देय | 2,393,011 | |
| 978,434 | अन्यक दायित्वद | 978,434 | |
| 3,371,445 | | | 3,371,445 |
| **164,468,250** | | | 217,154,361 |

COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

SCHEDULE 3 Fixed Assets

Estate

| Description | Gross Block | | | | | Depreciation | | | | | Net Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Balance as on 01.04.2013 | Additions | Sale/Adj. | Grant- In-Aid | As at March 31, 2014 | Rate | Up to 31.03.13 | For the Year | Withdrawn | As at March 31, 2014 | As at March 31, 2014 | As at March 31, 2013 |
| Land | | | | | | | | | | | | |
| Land | 17,33,33,000 | | | | 17,33,33,000 | | | | | - | 17,33,33,000 | 17,33,33,000 |
| Land Development | 77,65,793 | | | | 77,65,793 | | | | | - | 77,65,793 | 77,65,793 |
| Building | | | | | | | | | | | | |
| Admin Building | 48,31,084 | | | | 48,31,084 | 5.00% | 8,51,636 | 1,98,972 | - | 10,50,608 | 37,80,476 | 39,79,448 |
| Asoka Flat | 1,28,335 | | | | 1,28,335 | 5.00% | 23,806 | 5,226 | - | 29,032 | 99,303 | 1,04,529 |
| Boundary wall & Gate | 74,60,916 | | | | 74,60,916 | 5.00% | 13,83,954 | 3,03,848 | - | 16,87,802 | 57,73,114 | 60,76,962 |
| Creche | 3,13,595 | | | | 3,13,595 | 5.00% | 41,189 | 13,620 | - | 54,809 | 2,58,786 | 2,72,406 |
| Warehouse | 1,14,09,076 | | | | 1,14,09,076 | 5.00% | 21,16,312 | 4,64,638 | - | 25,80,951 | 88,28,125 | 92,92,763 |
| ESI | 4,17,060 | | | | 4,17,060 | 5.00% | 77,362 | 16,985 | - | 94,347 | 3,22,713 | 3,39,698 |
| Electronics Complex | 29,32,398 | | | | 29,32,398 | 10.00% | 10,08,452 | 1,92,395 | - | 12,00,847 | 17,31,551 | 19,23,946 |
| Equipments | 8,45,203 | | | | 8,45,203 | 13.91% | 2,39,301 | 85,739 | | 3,25,040 | 5,20,163 | 6,05,902 |
| SDF-16A | 3,28,18,340 | | | | 3,28,18,340 | 10.00% | 1,13,11,621 | 21,50,672 | - | 1,34,62,293 | 1,93,56,047 | 2,15,06,719 |
| SDF-17 | 11,16,27,724 | | | | 11,16,27,724 | 10.00% | 3,83,88,774 | 73,23,895 | - | 4,57,12,669 | 6,59,15,055 | 7,32,38,950 |
| SDF-43A | 4,76,90,349 | | | | 4,76,90,349 | 10.00% | 1,64,26,104 | 31,26,425 | | 1,95,52,529 | 2,81,37,820 | 3,12,64,245 |
| LIFT | 1,42,49,551 | | | | 1,42,49,551 | 13.91% | 28,35,313 | 15,87,721 | - | 44,23,033 | 98,26,518 | 1,14,14,238 |
| Single Storied SDF | 1,13,55,104 | | | | 1,13,55,104 | 10.00% | 39,05,020 | 7,45,008 | - | 46,50,028 | 67,05,076 | 74,50,084 |
| Canteen | 12,51,093 | | | | 12,51,093 | 10.00% | 4,30,250 | 82,084 | - | 5,12,335 | 7,38,758 | 8,20,842 |
| Roads & Drains | | | | | | | | | | | | |
| Road | 1,80,42,360 | | | | 1,80,42,360 | 5.00% | 33,46,745 | 7,34,781 | - | 40,81,526 | 1,39,60,834 | 1,46,95,615 |
| Drains | 1,09,01,799 | | | | 1,09,01,799 | 5.00% | 20,22,215 | 4,43,979 | - | 24,66,194 | 84,35,605 | 88,79,583 |
| Ducts | 1,73,923 | | | | 1,73,923 | 5.00% | 32,261 | 7,083 | - | 39,344 | 1,34,579 | 1,41,662 |
| Street Lights | 8,84,605 | | | | 8,84,605 | 13.91% | 3,98,755 | 67,582 | | 4,66,336 | 4,18,269 | 4,85,851 |
| Plant & Machinery | | | | | | | | | | | | - |
| Bio Gas Plant | 6,96,529 | | | | 6,96,529 | 13.91% | 3,13,924 | 53,220 | - | 3,67,145 | 3,29,384 | 3,82,606 |
| Fire fighting System | 14,61,167 | | | | 14,61,167 | 13.91% | 6,58,546 | 1,11,645 | - | 7,70,190 | 6,90,977 | 8,02,621 |
| Electrical equipments | 3,12,905 | 17,53,035 | | | 20,65,940 | 13.91% | 1,38,997 | 30,528 | - | 1,69,525 | 18,96,415 | 1,73,908 |
| Mobile Phone | 45,050 | 24,495 | | | 69,545 | 13.91% | 1,809 | 8,050 | | 9,859 | 59,686 | 43,241 |
| Communication | | | | | | | | | | | | - |
| Fiber Optical Network | 17,69,211 | | | | 17,69,211 | 13.91% | 7,97,380 | 1,35,182 | - | 9,32,562 | 8,36,649 | 9,71,830 |
| Motor Vehicle | | | | | | | | | | | | - |
| Motor Car | 16,02,082 | | | | 16,02,082 | 25.89% | 7,60,140 | 2,17,979 | | 9,78,119 | 6,23,963 | 8,41,942 |
| Motor Cycle | 56,800 | 31,000 | - | | 87,800 | 25.89% | 35,676 | 5,623 | - | 41,298 | 46,502 | 21,124 |
| Furniture & fittings | | | | | | | | | | | | - |
| Furniture & Fittings | 8,86,170 | 1,63,980 | | | 10,50,150 | 18.10% | 4,40,311 | 95,011 | - | 5,35,322 | 5,14,828 | 4,45,859 |
| Computer & Software | | | | | | | | | | | | - |
| Computer & Software | 4,22,296 | | | | 4,22,296 | 40.00% | 3,20,094 | 40,881 | - | 3,60,975 | 61,321 | 1,02,202 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| Total- Part A | 46,56,83,518 | 19,72,510 | - | - | 46,76,56,028 | | 8,83,05,946 | 1,82,48,771 | | 10,65,54,718 | 36,11,01,310 | 37,73,77,569 |
| Capital WIP | 4,18,40,000 | 14,30,700 | | 87,545 | 4,24,83,155 | | | | | - | 4,24,83,155 | 4,18,40,000 |

# कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण

## अनुसूचियां स्थिरआस्तियां

| विवरण | सकल ब्लोक | | | | | मूल्यह्वास | | | | | शुद्ध ब्लाक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4.2013 मे शेष | जोड | बिक्री/समायोजन | सहायता अनुदान | 1.4.2014 मे शेष | दर | 31.3.2013 तक | वर्ष | वापसी | 31.3.2014 मे शेष | 31.3.2014 मे शेष | 31.3.2013 मे शेष |
| **भमी** | | | | | | | | | | | | |
| भमी | 17,33,33,000 | | - | | 17,33,33,000 | - | | | - | | 17,33,33,000 | 17,33,33,000 |
| भमी पिकरा | 77,65,793 | | - | | 77,65,793 | - | | | - | | 77,65,793 | 77,65,793 |
| **मकान** | | | | | | | | | | | | |
| प्रशासनल भवन | 48,31,084 | | - | | 48,31,084 | 5.00% | 8,51,636 | 1,98,972 | - | 10,50,608 | 37,80,476 | 39,79,448 |
| अशोका फलाट | 1,28,335 | | - | | 1,28,335 | 5.00% | 23,806 | 5,226 | - | 29,032 | 99,303 | 1,04,529 |
| चार दीवार एवं गेट | 74,60,916 | | - | | 74,60,916 | 5.00% | 13,83,954 | 3,03,848 | - | 16,87,802 | 57,73,114 | 60,76,962 |
| बाल गृह | 3,13,595 | | | | 3,13,595 | 5.00% | 41,189 | 13,620 | - | 54,809 | 2,58,786 | 2,72,406 |
| गोदम | 1,14,09,076 | | - | | 1,14,09,076 | 5.00% | 21,16,312 | 4,64,638 | - | 25,80,951 | 88,28,125 | 92,92,763 |
| इ एस आई | 4,17,060 | | - | | 4,17,060 | 5.00% | 77,362 | 16,985 | - | 94,347 | 3,22,713 | 3,39,698 |
| इलक्ट्रानिक्स कांप्लक्स | 29,32,398 | | - | | 29,32,398 | 10.00% | 10,08,452 | 1,92,395 | - | 12,00,847 | 17,31,551 | 19,23,946 |
| उपस्कर | 8,45,203 | | - | | 8,45,203 | 13.91% | 2,39,301 | 85,739 | | 3,25,040 | 5,20,163 | 6,05,902 |
| एस डी एफ 16 ए | 3,28,18,340 | | - | | 3,28,18,340 | 10.00% | 1,13,11,621 | 21,50,672 | - | 1,34,62,293 | 1,93,56,047 | 2,15,06,719 |
| एसडी एफ 17 | 11,16,27,724 | | - | | 11,16,27,724 | 10.00% | 3,83,88,774 | 73,23,895 | - | 4,57,12,669 | 6,59,15,055 | 7,32,38,950 |
| एस डी | 4,76,90,349 | | - | | 4,76,90,349 | 10.00% | 1,64,26,104 | 31,26,425 | | 1,95,52,529 | 2,81,37,820 | |
| एफ 43 ए | | | | | | | | | | | | 3,12,64,245 |
| लिफ्ट | 1,42,49,551 | | - | | 1,42,49,551 | 13.91% | 28,35,313 | 15,87,721 | - | 44,23,033 | 98,26,518 | 1,14,14,238 |
| एम मंजलीय एस डी एफ | 1,13,55,104 | | - | | 1,13,55,104 | 10.00% | 39,05,020 | 7,45,008 | - | 46,50,028 | 67,05,076 | 74,50,084 |
| कैन्टीन | 12,51,093 | | - | | 12,51,093 | 10.00% | 4,30,250 | 82,084 | - | 5,12,335 | 7,38,758 | 8,20,842 |
| **सड़क एवं नालियां** | | | | | | | | | | | | |
| सड़क | 1,80,42,360 | | - | | 1,80,42,360 | 5.00% | 33,46,745 | 7,34,781 | - | 40,81,526 | 1,39,60,834 | 1,46,95,615 |
| नालियां | 1,09,01,799 | | - | | 1,09,01,799 | 5.00% | 20,22,215 | 4,43,979 | - | 24,66,194 | 84,35,605 | 88,79,583 |
| नालिकाएं | 1,73,923 | | - | | 1,73,923 | 5.00% | 32,261 | 7,083 | - | 39,344 | 1,34,579 | 1,41,662 |
| **स्ट्रीट लाइट** | 8,84,605 | | - | | 8,84,605 | 13.91% | 3,98,755 | 67,582 | | 4,66,336 | 4,18,269 | 4,85,851 |
| प्लांट एवं मशीनरी | | | | | | | | | | | | |
| बयोगैस प्लांट | 6,96,529 | | - | | 6,96,529 | 13.91% | 3,13,924 | 53,220 | - | 3,67,145 | 3,29,384 | 3,82,606 |
| अग्निशमन उपकरण | 14,61,167 | | - | | 14,61,167 | 13.91% | 6,58,546 | 1,11,645 | - | 7,70,190 | 6,90,977 | 8,02,621 |
| बिजली उपकरण | 3,12,905 | 17,53,035 | - | | 20,65,940 | 13.91% | 1,38,997 | 30,528 | - | 1,69,525 | 18,96,415 | 1,73,908 |
| मोबाइल फोन | 45,050 | 24,495 | | | 69,545 | 13.91% | 1,809 | 8,050 | | 9,859 | 59,686 | 43,241 |
| **संचार** | | | | | | | | | | | | |
| फाइबर ओप्टिकल नेटवर्क | 17,69,211 | | - | | 17,69,211 | 13.91% | 7,97,380 | 1,35,182 | - | 9,32,562 | 8,36,649 | 9,71,830 |
| **मोटोर वाहन** | | | | | | | | | | | | |
| मोटोर कार | 16,02,082 | | | | 16,02,082 | 25.89% | 7,60,140 | 2,17,979 | | 9,78,119 | 6,23,963 | 8,41,942 |
| मोटोर साइकल | 56,800 | 31,000 | - | | 87,800 | 25.89% | 35,676 | 5,623 | | 41,298 | 46,502 | 21,124 |
| **फर्नीचर एवं फिटिंग्स** | | | | | | | | | | | | |
| **फर्नीचर एवं फिटिंग्स** | 8,86,170 | 1,63,980 | | | 10,50,150 | 18.10% | 4,40,311 | 95,011 | - | 5,35,322 | 5,14,828 | 4,45,859 |
| **कंप्यूटर एवं सोफ्टवेर** | | | | | | | | | | | | |
| **कंप्यूटर एवं सोफ्टवेर** | 4,22,296 | | | | 4,22,296 | 40.00% | 3,20,094 | 40,881 | - | 3,60,975 | 61,321 | 1,02,202 |
| कुल भाग ए | **46,56,83,518** | **19,72,510** | - | | **46,76,56,028** | | **88305946** | **18248771** | | **10,65,54,718** | **36,11,01,310** | **37,73,77,569** |
| पंजी डब्ल आई पी | 4,18,40,000 | 14,30,700 | - | 7,87,545 | 4,24,83,155 | | | | | | **4,24,83,155** | **4,18,40,000** |

POWER DISTRIBUTION -(SLM METHOD)

| Description | Gross Block | | | | | Depreciation | | | | | Net Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening balance as on 01.04.2013 | Additions | Sale/Adj | | As at 31st March, 2014 | Rate | Upto 31.03.2013 | For the Year | Withdrawn | As at 31st March, 2014 | As at 31st March, 2014 | As at 31st March, 2013 |
| 500 KV Transformer | 3,50,000 | - | | | 3,50,000 | 5.28% | 6,283 | 18,480 | | 24,763 | 3,25,237 | 3,43,717 |
| Batteries | 1,35,189 | - | | | 1,35,189 | 6.30% | 17,067 | 8,517 | | 25,584 | 1,09,605 | 1,18,122 |
| Distribution Line | 4,26,03,183 | - | - | | 4,26,03,183 | 5.28% | 71,52,907 | 26,23,033 | - | 97,75,940 | 3,28,27,243 | 3,54,50,276 |
| Metering Equipments | 81,27,890 | 8,47,826 | - | | 89,75,716 | 6.30% | 20,09,231 | 6,65,781 | - | 26,75,012 | 63,00,704 | 61,18,659 |
| Equipments | - | 10,84,356 | | | 10,84,356 | 6.30% | | 27,326 | | 27,326 | 10,57,030 | - |
| Furniture & Fittings | 17,296 | - | - | | 17,296 | 6.30% | 4,416 | 1,159 | - | 5,575 | 11,721 | 12,880 |
| Office Equipments | 1,38,160 | - | | | 1,38,160 | 6.30% | 35,277 | 8,705 | | 43,982 | 94,178 | 1,02,883 |
| Substation | 4,15,41,924 | - | - | | 4,15,41,924 | 5.28% | 69,68,361 | 25,60,633 | - | 95,28,994 | 3,20,12,930 | 3,45,73,563 |
| **Total Part B** | **9,29,13,642** | **19,32,182** | **-** | **-** | **9,48,45,824** | | **1,61,93,542** | **59,13,634** | **-** | **2,21,07,176** | **7,27,38,648** | **7,67,20,100** |
| **Capital WIP** | **73,00,000** | **5,72,135** | | | **78,72,135** | | | | | | **78,72,135** | **73,00,000** |

IWMS

| Description | Gross Block | | | | | Depreciation | | | | | Net Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2013 | Additions | Sale/Adj | | As at March 31, 2014 | Rate | Up to 31.03.13 | For the Year | Withdrawn | As at March 31, 2014 | As at March 31, 2014 | As at March 31, 2013 |
| WTP-Division | | | | | | | | | | | | |
| Building & Boundary wall | 5,83,473 | - | - | | 5,83,473 | 10% | 2,00,656 | 38,282 | - | 2,38,938 | 3,44,535 | 3,82,817 |
| Pump House | 22,22,724 | - | - | | 22,22,724 | 13.91% | 10,01,778 | 1,69,834 | - | 11,71,612 | 10,51,112 | 12,20,946 |
| WTP-Plant | 45,05,241 | - | - | | 45,05,241 | 13.91% | 20,30,505 | 3,44,236 | - | 23,74,741 | 21,30,500 | 24,74,736 |
| Distribution Line | 1,11,51,963 | 31,753 | - | | 1,11,83,716 | 13.91% | 50,26,172 | 8,54,917 | - | 58,81,089 | 53,02,627 | 61,25,791 |
| Equipments | 4,98,600 | 26,502 | - | | 5,25,102 | 13.91% | 2,24,718 | 41,066 | - | 2,65,785 | 2,59,317 | 2,73,882 |
| Total | **1,89,62,001** | **58,255** | **-** | | **1,90,20,256** | | **84,83,830** | **14,48,334** | **-** | **99,32,164** | **90,88,092** | **1,04,78,171** |
| CETP-Division | | | | | | | | | | | | |
| Building | 17,11,981 | | - | | 17,11,981 | 10% | 5,57,092 | 1,15,489 | - | 6,72,581 | 10,39,400 | 11,54,889 |
| CETP Plant | 86,92,178 | 2,62,640 | - | | 89,54,818 | 13.91% | 39,17,552 | 6,75,601 | - | 45,93,153 | 43,61,665 | 47,74,626 |
| CETP Pipe Line | 33,62,245 | 31,753 | - | | 33,93,998 | 13.91% | 15,15,359 | 2,59,721 | - | 17,75,080 | 16,18,918 | 18,46,886 |
| Equipments | 8,11,572 | 26,502 | - | | 8,38,074 | 13.91% | 1,54,899 | 94,312 | - | 2,49,212 | 5,88,862 | 6,56,673 |
| Pressure Jetting Vehicle | 9,20,181 | - | - | | 9,20,181 | 20% | 5,43,275 | 75,381 | - | 6,18,656 | 3,01,525 | 3,76,906 |
| Total | **1,54,98,157** | **3,20,895** | **-** | | **1,58,19,052** | | **66,88,177** | **12,20,505** | **-** | **79,08,682** | **79,10,370** | **88,09,980** |
| INCINERATOR | | | | | | | | | | | | |
| Building | 5,55,909 | - | - | | 5,55,909 | 10% | 1,91,178 | 36,473 | - | 2,27,651 | 3,28,258 | 3,64,731 |
| Incinerator | 14,19,669 | - | - | | 14,19,669 | 13.91% | 6,39,843 | 1,08,474 | - | 7,48,316 | 6,71,353 | 7,79,826 |
| Total | **19,75,578** | **-** | **-** | | **19,75,578** | | **8,31,020** | **1,44,947** | **-** | **9,75,967** | **9,99,611** | **11,44,558** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Capital Work in progress | 2,18,00,000 | 5,16,762 | | | **2,23,16,762** | | | | | | 2,23,16,762 | 2,18,00,000 |
| Total Part C | **3,64,35,736** | **3,79,150** | **-** | | **3,68,14,886** | | **1,60,03,027** | **28,13,786** | **-** | **1,88,16,813** | **1,79,98,073** | **2,04,32,709** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total- Part A | **46,56,83,518** | **19,72,510** | **-** | **-** | **46,76,56,028** | | **8,83,05,946** | **1,82,48,771** | **-** | **10,65,54,718** | **36,11,01,310** | **37,73,77,569** |
| Total Part B | **9,29,13,642** | **19,32,182** | **-** | **-** | **9,48,45,824** | | **1,61,93,542** | **59,13,634** | **-** | **2,21,07,176** | **7,27,38,648** | **7,67,20,100** |
| Total Part C | **3,64,35,736** | **3,79,150** | **-** | **-** | **3,68,14,886** | | **1,60,03,027** | **28,13,786** | **-** | **1,88,16,813** | **1,79,98,073** | **2,04,32,709** |
| Grand Total | **59,50,32,896** | **42,83,842** | **-** | | **59,93,16,738** | | **12,05,02,515** | **2,69,76,191** | **-** | **14,74,78,707** | **45,18,38,031** | **47,45,30,378** |
| Capital WIP | 7,09,40,000 | 25,19,597 | - | 7,87,545 | 7,26,72,052 | | - | - | - | - | 7,26,72,052 | 7,09,40,000 |

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | | विवरण | | | शुद्ध ब्लाक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.04.2013 | जोड़ | बिक्री/ समायोजन | | 01.04.2014 में | दर | 31.3.1013 तक | वर्ष | वापसी | 31.032014 में | 31.032014 में | 31.032013 में |
| **डब्लू टी पी डिविजन** | | | | | | | | | | | | |
| मकान एवं चार दीवार | 5,83,473 | - | - | | 5,83,473 | 10% | 2,00,656 | 38,282 | - | 2,38,938 | 3,44,535 | 3,82,817 |
| पंप हाउस | 22,22,724 | - | - | | 22,22,724 | 13.91% | 10,01,778 | 1,69,834 | - | 11,71,612 | 10,51,112 | 12,20,946 |
| डब्लू टी पी प्लांट | 45,05,241 | - | - | | 45,05,241 | 13.91% | 20,30,505 | 3,44,236 | - | 23,74,741 | 21,30,500 | 24,74,736 |
| वितरण लाइन | 1,11,51,963 | 31,753 | - | | 1,11,83,716 | 13.91% | 50,26,172 | 8,54,917 | - | 58,81,089 | 53,02,627 | 61,25,791 |
| उपकरण | 4,98,600 | 26,502 | - | | 5,25,102 | 13.91% | 2,24,718 | 41,066 | - | 2,65,785 | 2,59,317 | 2,73,882 |
| **कुल** | **1,89,62,001** | **58,255** | **-** | | **1,90,20,256** | | **84,83,830** | **14,48,334** | **-** | **99,32,164** | **90,88,092** | **1,04,78,171** |
| सी इ टी पी डिविजन | | | | | | | | | | | | |
| मकान | 17,11,981 | | - | | 17,11,981 | 10% | 5,57,092 | 1,15,489 | - | 6,72,581 | 10,39,400 | 11,54,889 |
| सी ई टी पी प्लांट | 86,92,178 | 2,62,640 | - | | 89,54,818 | 13.91% | 39,17,552 | 6,75,601 | - | 45,93,153 | 43,61,665 | 47,74,626 |
| सी ई टी पी पाइप लाइन | 33,62,245 | 31,753 | - | | 33,93,998 | 13.91% | 15,15,359 | 2,59,721 | - | 17,75,080 | 16,18,918 | 18,46,886 |
| उपकरण | 8,11,572 | 26,502 | - | | 8,38,074 | 13.91% | 1,54,899 | 94,312 | - | 2,49,212 | 5,88,862 | 6,56,673 |
| प्रशर जट वाहन | 9,20,181 | - | - | | 9,20,181 | 20% | 5,43,275 | 75,381 | - | 6,18,656 | 3,01,525 | 3,76,906 |
| **कुल** | **1,54,98,157** | **3,20,895** | **-** | | **1,58,19,052** | | **66,88,177** | **12,20,505** | **-** | **79,08,682** | **79,10,370** | **88,09,980** |
| **इंसिनरेटर** | | | | | | | | | | | | |
| मकान | 5,55,909 | - | - | | 5,55,909 | 10% | 1,91,178 | 36,473 | - | 2,27,651 | 3,28,258 | 3,64,731 |
| इंसिनरेटर | 14,19,669 | - | - | | 14,19,669 | 13.91% | 6,39,843 | 1,08,474 | - | 7,48,316 | 6,71,353 | 7,79,826 |
| **कुल** | **19,75,578** | **-** | **-** | | **19,75,578** | | **8,31,020** | **1,44,947** | **-** | **9,75,967** | **9,99,611** | **11,44,558** |
| **पूंजी कार्य प्रगति** | 2,18,00,000 | 5,16,762 | | | **2,23,16,762** | | | | | | 2,23,16,762 | 2,18,00,000 |
| **कुल भाग सी** | **3,64,35,736** | **3,79,150** | **-** | | **3,68,14,886** | | **1,60,03,027** | **28,13,786** | **-** | **1,88,16,813** | **1,79,98,073** | **2,04,32,709** |
| **कुल भाग ए** | **46,56,83,518** | **19,72,510** | **-** | | **46,76,56,028** | | **8,83,05,946** | **1,82,48,771** | **-** | **10,65,54,718** | **36,11,01,310** | **37,73,77,569** |
| **कुल भाग बी** | **9,29,13,642** | **19,32,182** | **-** | | **9,48,45,824** | | **1,61,93,542** | **59,13,634** | **-** | **2,21,07,176** | **7,27,38,648** | **7,67,20,100** |
| **कुल भाग सी** | **3,64,35,736** | **3,79,150** | **-** | | **3,68,14,886** | | **1,60,03,027** | **28,13,786** | **-** | **1,88,16,813** | **1,79,98,073** | **2,04,32,709** |
| **कुल योग** | **59,50,32,896** | **42,83,842** | **-** | | **59,93,16,738** | | **12,05,02,515** | **2,69,76,191** | **-** | **14,74,78,707** | **45,18,38,031** | **47,45,30,378** |
| पूंजी डब्लू आई पी | 7,09,40,000 | 25,19,597 | - | 7,87,545 | 7,26,72,052 | | - | | - | | 7,26,72,052 | 7,09,40,000 |

## COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

Schedules forming part of the financials statements

| As at 31-Mar-13 (Rs.) | | | As at 31-Mar-14 (Rs.) |
|---|---|---|---|
| | **SCHEDULE - 4** | | |
| | **INVENTORY** | | |
| 1,34,154 | Spares- Power | | 92,477 |
| 4,47,753 | Consumables & Spares -IWMS | | 3,57,511 |
| **5,81,907** | | | **4,49,988** |
| | **SCHEDULE - 5** | | |
| | **RECEIVABLES FROM UNITS** | | |
| 3,86,26,100 | Rent Receivables- Estate | 4,43,63,588 | |
| 3,48,05,884 | Less: Provision for doubtful debts | 3,48,05,884 | |
| 38,20,216 | | | 95,57,704 |
| 8,11,349 | Receivables- Power Distribution | | 10,53,565 |
| 29,27,792 | Receivables- IWMS | | 22,91,897 |
| **75,59,358** | | | **1,29,03,166** |
| | **SCHEDULE - 6** | | |
| | **CASH AND BANK BALANCES** | | |
| | **Balance with Scheduled Banks** | | |
| | ***on Current account*** | | |
| 6,47,18,368 | State Bank Of India-CA-1084 | | 1,19,70,308 |
| 1,00,000 | State Bank of Travancore | | 1,00,000 |
| - | Central Bank of India A/c No.(356) | | 3,17,09,177 |
| - | Central Bank of India(A/C No: 793) | | 3,14,33,787 |
| 3,00,48,338 | Indian Bank CA-669 | | 59,40,336 |
| 1,04,55,713 | Central Bank Of India- CA-185 | | 2,07,87,245 |
| 5,578 | Central Bank Of India- TP Account No.692 | | 5,578 |
| 6,78,00,000 | State Bank Of India-CA-3346 (Earmarked Funds) | | 5,02,71,868 |
| **17,31,27,996** | | | **15,22,18,299** |
| 46,00,41,819 | ***Short Term Fixed Deposit with Banks*** | | 60,96,37,060 |
| - | ***State Bank Of India (Aside Fund)*** | | 6,50,00,000 |
| 1,146 | ***Cash in Hand*** | | 6,860 |
| **63,31,70,961** | | | **82,68,62,219** |

| कोच्चि न विशेष आर्थिक क्षेत्र | | | |
|---|---|---|---|
| As at | | | As at |
| 31-Mar-13 | | | 31-Mar-14 |
| (Rs.) | | | (Rs.) |
| | **अनुसूची - 4** | | |
| | **वस्तुसूची** | | |
| 1,34,154 | स्पेयर्स - पावर | | 92,477 |
| 4,47,753 | कंस्यूमबल एवं स्पयर्स -आई डब्लू एम एस | | 3,57,511 |
| | **अनुसूची - 5** | | |
| | **युनिटों से प्राप्य** | | |
| 3,86,26,100 | किराया | 4,43,63,588 | |
| 3,48,05,884 | संदेहपूर्ण ऋण घटावा | 3,48,05,884 | |
| 38,20,216 | | | 95,57,704 |
| 8,11,349 | पवर वितरण से प्राप्य | | 10,53,565 |
| 29,27,792 | आई डब्लू एम एस से प्राप्य | | 22,91,897 |
| **75,59,358** | | | **1,29,03,166** |
| | **अनुसूची - 6** | | |
| | **नकद एवं बैंक शेष** | | |
| | **उनुसूचित बैंकों में चालू खाते शेष** | | |
| 6,47,18,368 | भारतीय स्टेट बैंक सी ए 1084 | | 1,19,70,308 |
| 1,00,000 | स्टेट बैक अफ ट्रावनकोर | | 1,00,000 |
| 3,00,48,338 | सेन्ट्रल बैंक अफ इंडिया खाता सं .(356) | | 3,17,09,177 |
| 1,04,55,713 | सेन्ट्रल बैंक अफ इंडिया(खाता सं: 793) | | 3,14,33,787 |
| 5,578 | इंडियन बैंक सी ए -669 | | 59,40,336 |
| 6,78,00,000 | सेन्ट्रल बैंक अफ इंडिया सी ए -185 | | 2,07,87,245 |
| 5,578 | सेन्ट्रल बैंक अफ इंडिया सी ए -692 | | 5,578 |
| 6,78,00,000 | भारतीय स्टेट बैंक सी ए 3346 | | 5,02,71,868 |
| 17,31,27,996 | | | 15,22,18,299 |
| 46,00,41,819 | अल्पकालिक स्थाई जमा | | 60,96,37,060 |
| | भारतीय स्टेट बैंक( ए एस आई डी फंड) | | 6,50,00,000 |
| 1146 | नकद | | 6,860 |
| 63,31,70,961 | | | 82,68,62,219 |

## COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

### Schedules forming part of the financials statements

| As at 31-Mar-13 (Rs.) | | | As at 31-Mar-14 (Rs.) |
|---|---|---|---|
| | **SCHEDULE - 7** | | |
| | **OTHER CURRENT ASSETS** | | |
| 60,000 | Advance to KSPCB | 60,000 | |
| - | Advance to suppliers | - | |
| 1,29,634 | Deposit Edachira pump House | 2,01,530 | |
| 86,95,982 | Interest On FD Receivable | 1,30,47,278 | |
| 34,237 | Internet Lease Line Advance | 37,924 | |
| 8,200 | Prepaid Road Tax | - | |
| - | Receivable from Govt.A/c( Koncherry Deposit) | - | |
| 1,52,32,265 | Security Deposit with KSEB | 1,52,32,265 | |
| 1,05,441 | Stock of Publications | 1,04,838 | |
| 45,000 | Water Cess Advance | 45,000 | |
| **2,43,10,759** | | | **2,87,28,835** |
| | **SCHEDULE - 8** | | |
| | **Miscellaneous Expenditure not w/off** | | |
| | *Deferred revenue Expenditure* | | |
| 4,63,260 | CIAL Country Club Membership- balance b/f | | 3,97,080 |
| 66,180 | Less: Written off during the year-(1/10 th) | | 66,180 |
| **3,97,080** | | | **3,30,900** |
| | **SCHEDULE - 09** | | |
| | **LEASE RENT-INCOME** | | |
| 2,41,82,670 | Lease Rent -Land | | 2,39,07,495 |
| 7,37,90,808 | Lease Rent - SDFs | | 7,14,13,188 |
| 4,96,535 | Lease Rent - others | | 3,86,064 |
| 30,64,962 | Transfer Fee | | 49,65,432 |
| **10,15,34,975** | | | **10,06,72,179** |
| | **SCHEDULE - 10** | | |
| | **INCOME FROM POWER DISTRIBUTION** | | |
| 4,58,04,321 | Fixed/demand Charge | 5,03,97,046 | |
| 20,58,83,066 | Energy Charge | 24,95,27,070 | |
| 68,05,454 | Electricity duty charge | 78,32,304 | |
| 11,44,937 | Surcharge | 11,82,407 | |
| 91,42,054 | Fuel Surcharge | - | |
| 1,80,36,842 | Charges Excess over quota | 80,87,220 | |
| 1,55,578 | Communication and meter charge | 1,47,948 | |
| 14 | Other income | 47 | |
| | Duty Arrear March 2009 - Nov 2012 | 11,76,914 | |
| | Power Factor Penalty | 21,11,268 | |
| 5,10,719 | Less: Power factor Incentive | (33,24,468) | |
| **28,74,82,986** | | | **31,71,37,756** |

**कोच्चि न विशेष आर्थिक क्षेत्र**

**अनुसूचियां वित्तीशय विवरण का भाग है ।**

| 31 मार्च 2013 में (रु) | | | 31 मार्च 2014 में (रु) |
|---|---|---|---|
| | अनुसुची - 7 | | |
| 60,000 | अन्यु चालू आस्तियां | 60,000 | |
| - | के एस पी सी बी को अग्रिम | - | |
| 1,29,634 | सप्लकयर्स को अग्रिम | 2,01,530 | |
| 86,95,982 | एडच्चीरा पंप हाउस जमा | 1,30,47,278 | |
| 34,237 | आवधिक जमा से प्राप्यप ब्यायज | 37,924 | |
| 8,200 | इंटरनेट लीस लाइन अग्रिम | - | |
| - | पूर्वदत्तय बिजली चार्ज- संपदा | - | |
| 1,52,32,265 | सुरक्षा जमा - के एस ई बी | 1,52,32,265 | |
| 1,05,441 | प्रकाशन स्टोक | 1,04,838 | |
| 45,000 | पानी उपकर –अग्रिम | 45,000 | |
| **2,43,10,759** | | | **2,87,28,835** |
| | अनुसूची - 08 | | |
| | मिश्रित व्यय | | |
| | अस्थाई राजस्व व्यय | | |
| 4,63,260 | सी आई ए एल कन्ट्रीस क्लयब में सदस्यिता पिछला जो | | 3,97,080 |
| 66,180 | वर्ष 1/2010 के दौरान बट्टे खाते में –घटाएं | | 66,180 |
| **3,97,080** | | | **3,30,900** |
| | **अनुसूची - 09** | | |
| | पट्टे किराये- जमीन | | |
| | पट्टे किराये एस डी एफ | | |
| 2,41,82,670 | | | 2,39,07,495 |
| 7,37,90,808 | | | 7,14,13,188 |
| 4,96,535 | | | 3,86,064 |
| | पट्टे किराये - अन्य | | |
| | अंतरण फी | | 49,65,432 |
| 30,64,962 | | | |
| **10,15,34,975** | | | **10,06,72,179** |
| | अनुसूची - 10 | | |
| | पावर वितरण से आय | | |
| 4,58,04,321 | | | |
| | स्थाई /डिमांड चार्ज | 5,03,97,046 | |
| 20,58,83,066 | ऊर्जा चार्ज | 24,95,27,070 | |
| 68,05,454 | बिजली डयूटी चार्ज | 78,32,304 | |
| 11,44,937 | उपकर | 11,82,407 | |
| 91,42,054 | इंधन उपकर | - | |
| 1,80,36,842 | कोटा से अधिक का चार्ज | 80,87,220 | |
| 1,55,578 | संचारएवं मीटर चार्ज | 1,47,948 | |
| 14 | अन्य आय | 47 | |
| | इयूटी बकाया मार्च 2009-2012 | 11,76,914 | |
| | पावर फैक्टरी पेनाल्टी | 21,11,268 | |
| 5,10,719 | पावर फैक्टर प्रोत्साहन | -33,24,468 | |
| **28,74,82,986** | | | **31,71,37,756** |

## COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

Schedules forming part of the financials statements

| As at 31-Mar-13 (Rs.) | | | As at 31-Mar-14 (Rs.) |
|---|---|---|---|
| | **SCHEDULE - 11** | | |
| | **INTEREST INCOME** | | |
| | Interest on Delayed Rent | | |
| 73,742 | Penal Interest on Plot Rent | 2,40,732 | |
| 9,05,734 | Penal Interest on SDFs Rent | 10,25,503 | |
| - | Penal Interest on Rent others | - | |
| 9,79,476 | | | 12,66,235 |
| 3,20,72,162 | Interest On Fixed Deposit | | 4,49,07,460 |
| **3,30,51,638** | | | **4,61,73,695** |
| | **SCHEDULE - 12** | | |
| | **OTHER INCOME** | | |
| 2,44,737 | Fine & Penalty | | 1,13,951 |
| 14,00,000 | Admn & Management fee from PDS | | 14,00,000 |
| 80,000 | Reconnection charges | | 1,18,700 |
| 4,63,543 | Miscellaneous Income | | 1,55,963 |
| 2,10,000 | Scrap Sales | | 12,825 |
| 1,700 | Sale of Publications | | 600 |
| **23,99,980** | | | **18,02,039** |
| | **SCHEDULE - 13** | | |
| | **POWER DISTRIBUTION EXPENSES** | | |
| | Electricity Charge | | |
| 3,47,04,400 | Fixed Charges | 3,75,34,800 | |
| 20,74,82,432 | Energy charge | 23,43,27,710 | |
| 70,67,884 | Electricity Duty | 87,17,491 | |
| 91,67,530 | Fuel Surcharge | - | |
| 9,54,831 | Supply Surcharge | 11,69,456 | |
| 1,62,73,053 | Additional Charge | 80,99,598 | |
| 27,56,50,130 | | | **28,98,49,055** |
| 1,14,00,000 | Operation & Management Fee | 1,14,00,000 | |
| 2,25,983 | Communication Expenses | 3,81,369 | |
| 9,63,390 | Repairs & Maintenance | 8,77,717 | |
| 19,569 | Inspection fee | 31,913 | |
| 16,045 | Internet Lease Line Fee | 3,00,003 | |
| 79,373 | Filing Fee- KSERC | 1,03,353 | |
| 14,00,000 | Admn & management Fee to CSEZ | 14,00,000 | |
| 78,509 | Licence Fee - KSERC | - | |
| 8,30,000 | Lease rent | 8,30,000 | |
| 1,97,913 | Water & Electricity Charges | 2,38,268 | |
| 93,650 | Energy & safety Audit | - | 1,55,62,623 |
| **29,09,54,562** | | | **30,54,11,678** |

**कोच्चि न विशेष आर्थिक क्षेत्र**

**अनुसूचियां वित्तीशय विवरण का भाग है ।**

| 31 मार्च 2013 में (रु) | | | 31 मार्च 2014 |
|---|---|---|---|
| | **ब्याज के रूप में आय** | | |
| | देरी किराये से ब्याज | | |
| 73,742 | जमीन किराये पर दंड ब्याज | 2,40,732 | |
| 9,05,734 | एसडी एफ / एम एस डी एफ पर दंड ब्याज | 10,25,503 | |
| | अन्य किराये पर दंड ब्याज | | |
| 9,79,476 | | | 12,66,235 |
| 3,20,72,162 | आवधिक जमा पर ब्याज | | 4,49,07,460 |
| **3,30,51,638** | | | **4,61,73,695** |
| | **अनुसूची** - 12 | | |
| | **अन्य आय** | | |
| 2,44,737 | दंड एवं जुर्माना | | 1,13,951 |
| 14,00,000 | पी डी एस प्रशासन एवं प्रबंधन फी | | 14,00,000 |
| 80,000 | पुन:कनक्शन चार्ज | | 1,18,700 |
| 4,63,543 | मिश्रित आय | | 1,55,963 |
| 2,10,000 | रद्दी माल बिक्री | | 12,825 |
| 1,700 | प्रकाशनों की बिक्री | | 600 |
| **23,99,980** | | | **18,02,039** |
| | **अनुसूची**- 13 | | |
| | **पावर वितरण व्यय** | | |
| | बिजली चार्ज | | |
| 3,47,04,400 | आवधिक चार्ज | 3,75,34,800 | |
| 20,74,82,432 | ऊर्जा चार्ज | 23,43,27,710 | |
| 70,67,884 | बजली चार्ज | 87,17,491 | |
| 91,67,530 | इंधन अधिभार | - | |
| 9,54,831 | वितरण अधिभार | 11,69,456 | |
| 1,62,73,053 | कोटा से अधिक उपयोग का चार्ज | 80,99,598 | |
| 27,56,50,130 | | | **28,98,49,055** |
| 1,14,00,000 | प्रचालन एवं प्रबंधन फी | 1,14,00,000 | |
| 2,25,983 | संचार व्यय | | |
| | | 3,81,369 | |
| 9,63,390 | सुधार एवं मर्मत | 8,77,717 | |
| 19,569 | निरीक्षण फी | 31,913 | |
| 16,045 | इंटरनेट लीज लाइनफी | 3,00,003 | |
| 79,373 | फायलिंग फी के सी आर सी | 1,03,353 | |
| 14,00,000 | प्रशासन एवं प्रबंधन फी | 14,00,000 | |
| 78,509 | लाइसेंस फी के सी आर सी | - | |
| 8,30,000 | पट्टं किराये | 8,30,000 | |
| 1,97,913 | पानी एवं बिजली चार्ज | 2,38,268 | |
| 93,650 | ऊर्जा एवं सुरक्षा लेखा परीक्षा | - | 1,55,62,623 |
| **29,09,54,562** | | | **30,54,11,678** |

| COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY<br>Schedules forming part of the financials statements | | |
|---|---|---|
| As at 31-Mar-13 (Rs.) | | As at 31-Mar-14 (Rs.) |
| | **SCHEDULE - 14** | |
| | **WATER DISTRIBUTION EXPENSES** | |
| 35,64,000 | Operation & Management Fee | 35,64,000 |
| 5,86,860 | Consumables & Chemicals | 6,95,822 |
| 25,43,129 | Electricity Charges | 25,75,030 |
| 7,14,465 | Repairs & Maintenance | 7,63,086 |
| 15,31,124 | Water Cess | 16,01,614 |
| - | Electricity duty | - |
| 6,459 | Telephone Expenses | 4,059 |
| 10,257 | Other expenses | 10,468 |
| 1,47,205 | Fuel Expenses | 1,70,223 |
| **91,03,499** | | **93,84,302** |
| | **SCHEDULE - 15** | |
| | **EFFLUENT TREATMENT EXPENSES** | |
| 35,64,000 | Operation & Management Fee | 35,64,000 |
| 22,62,473 | Consumables & Spares | 27,83,284 |
| 17,84,814 | Electricity Charges | 19,92,685 |
| - | Electricity Duty | - |
| 2,53,574 | Repairs & Maintenance | 12,64,731 |
| 2,59,569 | Water Charges | 3,97,647 |
| 52,500 | Fuel Expenses | - |
| 15,432 | Telephone Charges | 16,935 |
| - | Office expenses | - |
| 1,62,470 | Sludge Removal Charge | 70,950 |
| 8,200 | Others | 8,200 |
| **83,63,032** | | **1,00,98,432** |
| | **SCHEDULE - 16** | |
| | **INCINERATOR EXPENSES** | |
| 2,52,000 | Operation & Management Fee | 2,10,000 |
| 15,000 | Repairs & Maintenance | 16,27,365 |
| 16,330 | Other expenses | 1,67,040 |
| **2,83,330** | | **20,04,405** |

**कोच्चि न विशेष आर्थिक क्षेत्र**

**अनुसूचियां वित्तीशय विवरण का भाग है ।**

| 31 मार्च 2013 में (रु) | | 31 मार्च 2013 में (रु) |
|---|---|---|
| | अनुसूची - 14 | |
| 35,64,000 | प्रचालन एवं प्रबंधन फी | 35,64,000 |
| 5,86,860 | उपभाज्य0 एवं रासायन | 6,95,822 |
| 25,43,129 | बिजली चार्ज | 25,75,030 |
| 7,14,465 | सुधार एवं मर्मत | 7,63,086 |
| 15,31,124 | पानी उपकर | 16,01,614 |
| - | बिजली शुल्कि | - |
| 6,459 | टेलेफोन व्यमय | 4,059 |
| 10,257 | अन्यफ व्यबय | 10,468 |
| 1,47,205 | इंधन व्यरय | 1,70,223 |
| **91,03,499** | | **93,84,302** |
| | अनुसूची - 15 | |
| | बहिस्राव उपचार व्य5य | |
| | प्रचालन एवं प्रबंधन फी | |
| | उपभोज्या एवं स्पायर्स | |
| | बिजली चार्ज | |
| | बिजली शुल्क | |
| 35,64,000 | सुधार एवं मर्मत | 35,64,000 |
| 22,62,473 | पानी चार्ज | 27,83,284 |
| 17,84,814 | इंधन चार्ज | 19,92,685 |
| - | टेलिफोन चार्ज | - |
| 2,53,574 | कार्यालय व्यरय | 12,64,731 |
| 2,59,569 | कीचड हटाने का चार्ज | 3,97,647 |
| 52,500 | अन्य | - |
| 15,432 | | 16,935 |
| - | **अनुसूची 16** | - |
| 1,62,470 | **इंसिनरेटर व्यय** | 70,950 |
| 8,200 | | 8,200 |
| **83,63,032** | **प्रचालन प्रबंधन फी** | **1,00,98,432** |
| | **सुधार एवं मर्मत फी** | |
| | **अन्य व्यय** | |
| 2,52,000 | | 2,10,000 |
| | | 16,27,365 |
| 15,000 | | 1,67,040 |
| 16,330 | | |
| **283330** | | **2004405** |

## COCHIN SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY

Schedules forming part of the financials statements

| As at 31-Mar-13 (Rs.) | | As at 31-Mar-14 (Rs.) |
|---|---|---|
| | **SCHEDULE - 17** | |
| | **OTHER ADMINISTRATION EXPENSES** | |
| 4,67,999 | Accounting and Consultancy | 4,68,000 |
| 1,26,979 | Advertisement Charges | 5,06,443 |
| 83,841 | Audit Fee | - |
| 1,311 | Bank Charges | 12,463 |
| 66,180 | CIAL Country Membership- 1/10th written off | 66,180 |
| 1,210 | Computer Stationary | - |
| 3,614 | Cost of Publications | 603 |
| 10,60,801 | Electricity Charges | 13,02,217 |
| 4,86,593 | Electricity duty | - |
| 54,200 | Fuel expenses | 1,66,320 |
| 2,76,000 | Incentive to staff | 2,52,000 |
| 33,252 | Inspection Charge | 67,766 |
| 24,505 | Insurance -Vechicles | 28,245 |
| 36,500 | IT Service Charges | 36,500 |
| 4,79,580 | Land Acquisition Expenses | - |
| 1,29,246 | Legal Fee | 73,200 |
| 70,019 | Meeting expenses | 15,490 |
| 1,71,173 | Miscellaneous Expenses | 3,61,366 |
| 4,707 | Mobile Phone Expenses | - |
| 21,672 | Office Expenses | - |
| 1,04,282 | Printing & Stationery | 57,672 |
| 5,990 | Rent & Taxes | 5,090 |
| 61,27,561 | Repairs & Maintenance | 93,03,105 |
| 13,21,935 | Security Wages | 16,87,035 |
| 24,920 | Subscription charges | 22,672 |
| 40,541 | Telephone Charges | 68,253 |
| 30,539 | Traveling Expenses | 93,400 |
| 1,04,319 | Uniform Charges | 1,05,592 |
| 1,53,120 | Wages | - |
| **1,15,12,589** | | **1,46,99,612** |

| कोच्चि न विशेष आर्थिक क्षेत्र | | |
|---|---|---|
| अनुसूचियां वित्तीशय विवरण का भाग है । | | |
| | | |
| 31 मार्च 2013 में (रु) | अनुसूची - 17 | 31 मार्च 2014 में (रु) |
| | | |
| | **अन्य प्रशासनिक व्यय** | |
| 4,67,999 | | 4,68,000 |
| 1,26,979 | लेखांकन एवं परामर्श | 5,06,443 |
| 83,841 | विज्ञापन चार्ज | - |
| 1,311 | लखा परीक्षा चार्ज | 12,463 |
| 66,180 | बैंक चार्ज | 66,180 |
| 1,210 | सीयाल कंट्री क्लब मेम्बरशिप 1/10 बट्टे खाते में | - |
| 3,614 | कंप्यूटर लेखन सामिग्री | 603 |
| 10,60,801 | प्रकाशन व्यय | 13,02,217 |
| 4,86,593 | बिजली चार्ज | - |
| 54,200 | बिजली शुल्क | 1,66,320 |
| 2,76,000 | इंधन व्यय | 2,52,000 |
| 33,252 | कर्मचारियों को प्रोत्साहन | 67,766 |
| 24,505 | निरीक्षण चार्ज | 28,245 |
| 36,500 | वाहन बीमा | 36,500 |
| 4,79,580 | आइ टी सर्वीस चार्ज | - |
| 1,29,246 | भूग्रहण चार्ज | 73,200 |
| 70,019 | कानू फी | 15,490 |
| 1,71,173 | बैठक व्यय | 3,61,366 |
| 4,707 | मिश्रित व्यय | - |
| 21,672 | मोबाइल फोन व्यय | - |
| 1,04,282 | कार्यालय व्यय | 57,672 |
| 5,990 | प्रिंटिंग एवं लेखन सामिग्री | 5,090 |
| 61,27,561 | किराया एवं कर | 93,03,105 |
| 13,21,935 | सुधार एवं मर्मत | 16,87,035 |
| 24,920 | वेतन/ टेका वेतन | 22,672 |
| 40,541 | ग्राहक चार्ज | 68,253 |
| 30,539 | टेलफोन चार्ज | 93,400 |
| 1,04,319 | यात्रा व्यय | 1,05,592 |
| 1,53,120 | वर्दी चार्ज | - |
| **1,15,12,589** | सेक्शन 3 बिजली शुल्क | **1,46,99,612** |

## SCHEDULE – 19

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES ON ACCOUNTS

### 1. Accounting Convention

The Financial statements are drawn up in accordance with the historical cost convention of accounting on accrual basis except in the case of Interest on Security Deposit with third parties, which are accounted on receipt basis.

### 2. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any except in the case of Power Distribution System. In the case of Power Distribution System assets are kept in their gross value and a Depreciation Reserve Fund equivalent to Depreciation provided is maintained. Cost includes all direct expenses incurred to bring an asset to its working condition including the consultancy fee paid for its intended use. The Authority was constituted by the Government of India with effect from 1st April 2009. The values of fixed assets transferred to the Authority on its incorporation were recognized at cost to CSEZ less accumulated depreciation till the date of transfer except in the case of assets pertaining to Power Distribution System where the depreciated values of assets reported to Kerala State Electricity Regulatory Commission as on 31-03-2009 have been taken as the transfer value.

### 3. Capital Fund

Capital Fund includes Corpus Grant and value of net assets taken over by the Authority on its incorporation. Excess of income over expenditure /Excess of expenditure over income as the case may be has also been transferred every year to Capital Fund.

### 4. Depreciation

a) Depreciation on assets related to power distribution is charged on Straight Line method as per the directions given by KSERC in their ARR & ERC Order 2014-15 , wherein it has been clarified that depreciation should be provided at the rates specified under the CERC Norms which are as per the table given below.

| Sl No | Category of Assets | Rate |
|---|---|---|
| 1 | Furniture & fittings | 6.30% |
| 2 | Street Lights | 6.30% |
| 3 | Equipments | 6.30% |
| 4 | Distribution Line | 5.28% |
| 5 | Substation | 5.28% |
| 6 | Office Equipment | 6.30% |
| 7 | Transformer | 5.28% |
| 8 | Batteries | 6.30% |

अनुसूची -19

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन कन्वेनशन

अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सुरक्षा जमा के व्याज को छोडकर, वित्तीय व्यपार, रसीद के आधार पर हिस्साब किया और वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रोत्भवन के आधार पर लगत कन्वेनशन किये गये है ।

2. स्थिर आस्तियां

अचल संपत्तियां, कम संचित मूल्यहास और हानि यदि कोई हो, के आधार पर कहा गया है । लगत में परामर्श शुल्क सहित सभी प्रत्यक्ष व्यय शामिल है जो संपत्ति को वर्तमान स्थान और चालू स्थिति में लाये है । भारत सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण 1 एप्रैल 2009 से प्रभावी है । प्राधिकरण की स्थापना पर स्थिर आस्तियों के हस्तांतर तक की मूल्यहास सेज के लगत पर किया जाएगा । लेकिन केरल राज्य बिजली नियंत्रण आयोग की 31.3.2009 को सूचित आस्तियों की मूल्यहास इस में शामिल नही किया जाएगा ।

3. पूंजी निधि

सरकार से प्राप्त कायिक अनुदान और प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत आस्तियों का मूल्य पूंजी निधि में शामिल है । मामले के अनुसार आय के अतिरिक्त व्यय / व्यय के आतिरिक्त आय भी हर साल पूंजी निधि में हस्तांतरित किया है ।

4. मूल्यहास

क) बिजली वितरण के संबध में संपत्ति की मूल्यहास, केरल बिजली नियंत्रण आयोग द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शन/ दर में स्ट्रैयिट लाइन मथड के रूप में नीचे तालिका के अनुसार किया गया है ।

| क्र. सं | आस्तियों की श्रेणी | दर |
|---|---|---|
| 1 | फर्नीचर और फिटिंग | 6.30% |
| 2 | स्ट्री लाइट | 6.30% |
| 3 | उपकरण | 6.30% |
| 4 | वितरण लाइन | 5.27% |
| 5 | उप स्टेशन | 5.28% |
| 6 | कार्यालय उपकरण | 6.30% |
| 7 | ट्रान्स्फोर्मर | 5.28% |
| 8 | बाटरीस | 6.30% |

b) Depreciation for other fixed assets is provided on Written down Value method at the rates broadly based on rates mentioned in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

| Sl No | Category of Assets | Rate |
|---|---|---|
| 1 | Building other than Factory Building | 5.00% |
| 2 | Factory Building | 10.00% |
| 3 | Roads, Drains and Ducts | 5.00% |
| 4 | Bio Gas Plant, Fire Fighting System, Office/Electrical Equipments Street Lights and Fibre Optical Networks, Pump House, WTP/CETP/ Incinerator Plant, WTP/CETP Distribution Line | 13.91% |
| 5 | Furniture & Fittings | 18.10% |
| 6 | Motor Vehicles | 25.89% |
| 7 | Computer & Software | 40.00% |
| 8 | Pressure Jetting Vehicle | 20.00% |

c) Depreciation for Additions /deletions to fixed assets is provided on pro- rata basis from/to the month of additions/ deletions.
d) Assets costing Rs. 5,000/- or less each are fully provided.

## 5. Inventory

a) Consumable Stores and spares relating to IWMS are valued at cost using FIFO method.
b) Machinery spares which can be used only in connection with an item of fixed asset or in other words 'Dedicated Spares' have been capitalized and depreciated over the residual life of that related asset.

## 6. Grant – In - Aid

a) Grant- in- Aids related to revenue expenditure recognized in the Income and Expenditure Account over the periods necessary to match them with related costs which they are intended to compensate. Unspent balances of Grant- in- Aids are carried forward to the subsequent years under the Head 'Current Liabilities and Provisions'.
b) Grant- In- Aids related to specific fixed assets are presented in the balance sheet by showing the grant as a deduction from the gross value of the concerned assets.
c) Grant in aids received for creation of fixed assets where the works are in progress have been accounted both as capital work in progress on the asset side and Grants In aid for the equivalent amount on the liability side.

ख) कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची में दर्शाये दर अन्य स्थिर आस्तियों के मूल्यहास रिटण डाउण वाल्यू मथड पर कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची 14 में सूचित दर पर किया गया है।

| क्र . सं | संपत्ति की श्रेणी | दर |
|---|---|---|
| 1 | मकान (फैक्टरी मकान के अलावा ) | 5% |
| 2 | फैक्टरी मकान | 10% |
| 3 | सडकें, नलियां और नालिकाएं | 5% |
| 4 | बयोगैस प्लांट, फायर फैटिंग सिस्टम, कार्यालय/ इलक्ट्रिकल उपकरण, स्ट्रीट लाइट एवं फैबर अप्टिकल नेटवर्क,पंप हाउस, डब्लू टी पी/सीई टपी/ इंसिनेटर प्लांट, डब्लू टी पी/ सीई टी पी वितरण लाइन । | 13.91% |
| 5 | फर्नीचर और फिटिंग्स | 18.10% |
| 6 | मोटोर वाहन | 25.89% |
| 7 | कंप्यूटर और सोप्टवेर | 40% |
| 8 | प्रशर जट वाहन | 20% |

ग) परिवर्धन के लिए मूल्यहास/स्थिर संपत्तियों को हटाने/जोडने का विलोपन/माह से यथानुपात के आधार पर प्रदान की गई है ।

घ) जो आस्तियों की लगत रु. 5000/- या उससे कम है उसे पूरी तरह दिया गया है ।
ड.) तृतीय पक्ष के साथा पडी हुई निधी के व्याज प्राप्ती के अनुसार लेखांकन किया गया ।

## 5. वस्तु सूची

क) आई डब्लू एम एस से संबंधित उपभोज्य स्टोर और स्पयर्स फिफो मथर्ड के आधार पर मूल्यांकित किया है ।

ख) केवल स्थिर आस्तियों में उपयोग करनेवाले मशीनरी स्पयर्स, अन्य शब्दों में डेडिकेटड स्पयर्स के मामलों में वे पूजीकृत किया गया और संबंधित संपत्ति का आवशिष्ट काल के बाद मूल्यहास किया गया ।

## 6. सहायता अनुदान

क) राजस्व व्यय से संबंधित सहायता अनुदान क्षतिपूर्ती करने की अवधि केलिए आय और व्यय के रूप में मान्यता दी । अव्ययित सहायता अनुदान बाद के वर्षो में वर्तमान देयता प्रावधान शीर्ष के अधीन लया गया ।

ख) विशेष स्थिर आस्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में सहायता अनुदान दिखा कर तुलन पत्र में पेश किये है ।

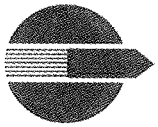

### 7. Deferred Revenue Expenditure

Deferred Revenue Expenditure has been written off during over the period which the benefit of the said expenditure accrues.

### 8. Income / Expenditure Recognition

a) Lease Rent
Lease Rent of the buildings and plots are recognized on quarterly basis on the first day of the relevant quarter.

b) Interest on arrears of Lease Rent
Interest charged on delayed lease rent is accounted on accrual basis as per the terms of agreement till the lease agreement is in force.

c) Fines and Penalty
Fines and Penalties charged by the Authority are accounted on receipt basis.

d) Electricity, Water, effluent and Incineration Charges
Amount charged to units for utilities such as electricity, water etc have been recognized as income for the accounting period

e) Interest on funds lying with third parties has been accounted on receipt basis after netting off portfolio and other charges payable if any.

**Schedule 20**
**NOTES ON ACCOUNTS**

1. The authority was constituted with effect from 1st April 2009 by transferring the assets and liabilities of the erstwhile Cochin Special Economic Zone.

2. Details of capital work in Progress as on 31.03.2014 are given below:

(Rs.)

| Particulars | ASIDE Contribution | Own Fund | Total |
|---|---|---|---|
| Street Light Revamping | 90,00,000 | 49,43,155 | 1,39,43,155 |
| Augmentation of Zero Discharge Effluent System | 90,00,000 | 1,06,00,000 | 1,96,00,000 |
| Revamping of Fire Fighting arrangements | 1,18,00,000 | - | 1,18,00,000 |
| Renovation of Admn. Building | | 1,22,40,000 | 1,22,40,000 |
| Unified access Control system | | 45,00,000 | 45,00,000 |
| Design & Supply of PLC based SCADA system | | 1,05,88,897 | 1,05,88,897 |
| Total | 2,98,00,000 | 4,36,59,597 | 7,26,72,052 |

7. आस्थगित राजस्व व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय उसी वर्ष की अवधि के दौरान बटे खाते में डाला ।

8. आय / व्यय पहचान

क) पटटा किराया

समझौते के अनुसार मकानों और प्लाटों के पट्टे और किराये संगत तिमाह और माह के प्रथम दिवस के अनुसार माना गया है ।

ख) पट्टे और किराये के बकाये राशि पर ब्याज

समझौते की शर्तो के अनुसार देरी पट्टे और किराये पर ब्याज, प्रोत्भवन के अधार पर किये गये है ।

ग) दंड और जुर्माना

प्राधिकरण द्वारा आरोपित दंड और जुर्माना रसीद के आधार पर लिए गये है ।

ध) बिजली, पानी, बहिस्राव और इन्सिनेटर चार्जस

बिजली, पानी, आदि के उपयोगिताओं केलिए यूनिटों को चार्ज की गई राशि संबंधित लेखांकन अवधि के आय के रूप में माना है ।

अनुसूची -20

लेखों पर टिपपणियां

1. प्राधिकरण की गठन 1 एप्रैल 2009 को तत्कालीन कोच्चिन विशेष आर्थिक क्षेत्र के देनदारियों के हस्तांतरण से प्रभावित हुई ।

2. दिनांक 31.12.2014 को पूंजी कार्य की प्रगति के ब्यौरे निम्न प्रकार है ।

| ब्यौरे | ए एस आई डी अंशदान | अपनी निधी | कुल |
|---|---|---|---|
| स्ट्रीट लाइट पुन:निर्माण | 90,00,000 | 49,43,155 | 1,39,43,155 |
| शून्य बहिस्राव में बढोतरी | 90,00,000 | 1,06,00,000 | 1,96,00,000 |
| अग्निशमन उपकरण का पुन:निर्माण | 1,18,00,000 | | 1,18,00,000 |
| प्रशासन मकान का नवीकरण | | 1,22,40,000 | 1,22,40,000 |
| युनिफाई एक्सस कंट्रोल सिस्टम | | 45,00,000 | 45,00,000 |
| स्काडा सिस्टम के डिजाइन एवं सप्प्ले | | 1,05,88,897 | 1,05,88,897 |
| कुल | 2,98,00,000 | 4,36,59,597 | 7,26,72,052 |

3. Short Term fixed Deposits with banks amounting to Rs. 60,96,37,060 has been classified under Cash and Bank Balances as all these deposits are maturing within a period of twelve months.

4. The operations of the Authority are mainly classified in to three cost/profit centers namely Estate, Power Distribution and IWMS. Income / Expenditure as reported in the Income & Expenditure Account include the value of services billed by the respective units on each other at the normal rates.

5. Activity wise results for the year are shown below:

| Particulars | Estate | Power | WTP | CETP | Incinerator | Adjustment for Inter unit items | Net Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) |
| **A. Income** | | | | | | | |
| Revenue | 10,06,72,179 | 31,71,37,756 | 1,61,18,973 | 1,58,96,274 | 91,215 | 44,99,16,398 | (25,87,090) |
| Interest Income | 2,73,04,760 | 1,46,39,442 | 42,29,493 | - | - | 4,61,73,695 | - |
| Other Income/Grant | 14,33,770 | 1,08,748 | 2,59,521 | - | - | 18,02,039 | |
| **Total** | **12,94,10,709** | **33,18,85,946** | **2,06,07,987** | **1,58,96,274** | **91,215** | **49,78,92,132** | |
| **B. Expenditure** | | | | | | | |
| **Operating Expenses** | | **30,54,11,678** | **93,84,302** | **1,00,98,432** | **20,04,405** | 32,68,98,817 | (25,87,090) |
| **Net Operating Income** | **12,94,10,709** | **2,64,74,268** | **1,12,23,685** | **57,97,842** | **(19,13,190)** | 17,09,93,315 | - |
| Depreciation | 1,82,48,771 | 59,13,634 | 14,48,334 | 12,20,505 | 1,44,947 | 2,69,76,191 | - |
| Administration | **1,42,84,276** | 4,02,889 | 12,447 | | | 1,46,99,612 | |
| **Net Income** | **9,68,77,662** | **2,01,57,745** | **97,62,904** | **45,77,337** | **(20,58,137)** | 12,93,17,512 | - |
| **Add: Provision Written Back** | | | | | | 2,91,126 | |
| **Net Profit For the year** | | | | | | 12,96,08,368 | |

6. No provision has been made in the accounts for any liability which may arise on account of additional compensation payable against land acquisition cases pending and legal charges payable as this liability cannot be quantified at present.

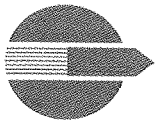

3. बैंक में अल्पकालिक स्थाई जमा रु. 60,96,37,060 नकद एवं बैंक शेष के वर्ग में वर्गीकृत किया गया ।

4. वर्ष के दौरान प्राधिकरण तीन लगत //लाभ केन्द्र माने संपदा, पावर वितरण और आई डब्लू एम एस के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

5. वर्ष के क्रियावार रिसल्ट नीचे दर्शाये गये है ।

| ब्यौरे | संपदा | पावर | डब्लू टी पी | सीईपीटी | इंसिनेटर | अंतरयूनिट आइटंस के लिए एड्जस्टमेंट | शुद्ध राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (रु) | (रु) | (रु) | (रु) | (रु) | (रु) | (रु) |
| ए. आय | | | | | | | |
| राजस्व | 10,06,72,179 | 31,71,37,756 | 1,61,18,973 | 1,58,96,274 | 91,215 | 44,99,16,398 | (25,87,090) |
| आय पर व्याज | 2,73,04,760 | 1,46,39,442 | 42,29,493 | - | - | 4,61,73,695 | - |
| अन्य आय/अनुदान | 14,33,770 | 1,08,748 | 2,59,521 | - | - | 18,02,039 | |
| कूल- ए | **12,94,10,709** | **33,18,85,946** | **2,06,07,987** | **1,58,96,274** | **91,215** | **49,78,92,132** | |
| बी- व्यय | | | | | | | |
| प्रचालन व्यय | | **30,54,11,678** | **93,84,302** | **1,00,98,432** | **20,04,405** | 32,68,98,817 | (25,87,090) |
| शुध प्रचालन व्यय | **12,94,10,709** | **2,64,74,268** | **1,12,23,685** | **57,97,842** | **(19,13,190)** | 17,09,93,315 | - |
| मूल्यह्वास | 1,82,48,771 | 59,13,634 | 14,48,334 | 12,20,505 | 1,44,947 | 2,69,76,191 | - |
| प्रशासन | **1,42,84,276** | 4,02,889 | 12,447 | | | 1,46,99,612 | |
| शुद्ध आय | **9,68,77,662** | **2,01,57,745** | **97,62,904** | **45,77,337** | **(20,58,137)** | 12,93,17,512 | - |
| | | | | | | | |
| | वर्ष में व्यय पर अधिक आय | | | | | | 63,623,315 |

6. वर्ष के दौरान पिछले वर्षो में दिये गये लीगल फी रु. 524000 की जरूरत नही था जो आय और व्यय में आय के रूप में दर्शाया गया है ।

7. Enhanced Rent charged to M/s LJ international from October 2010 till March 2012 has been disputed by the party and the matter is pending in the Court. No provision for doubtful debts has been created in the accounts for this purpose.

8. During the year, other than in the case of wages paid to Security, no expenditure has been incurred under the head Establishment Expenses such as Salaries & Allowances, as no staff appointment has been made under the Authority.

9. Miscellaneous Expenditure Written off during the year amounting to Rs. 66,180 represents one-tenth of the CIAL Country Cub Corporate Membership Fees paid during the year 2009-10.

10. Income/Expenses attributable to three segments viz. Power distribution system, IWMS, Estate Divisions arising from other segments were not netted off while preparing the Final Accounts.

11. Previous years' figures have been regrouped wherever necessary.

(Dr. Safeena A N IAS)
Chairperson

(Ajayakumar K N)
Secretary-in-Charge

7.एल जे इंटरनाशनल के किराये बढाने के संबंध में मामला अदालत में है और अक्तूबर 2010 से मार्च 2012 तक की कराये लंबित है और उस के लिए संदेहास्पद ऋण का कोई प्रावधान नही बनाया है ।

8. वर्ष के दौरान सुरक्षा कर्मियों के वेतन अलावा प्रशासनिक शीर्ष में कोई व्यय सालरीज आदी में नहीं हुई है जिस का कारण कोई स्टाफ का चयन नही हुई ।

9.2009-10 के दौरान सी आई ए एल कंट्री क्लब में सदस्यता फी के रूप में दिये गए रकम की एक दिसाई रु. 66,180/- मिश्रित व्यय में बट्टे खाते में डाला गया ।

10. प्राधिकरण के प्रचालन संपदा, पावर वितरण और आई डब्लू एम एस के तीन लगत और लाभ के रूप में विभाजित किया गया । आय और व्यय लेखा में रिपोर्ट किये गये आय और व्यय में संबंधित यूनिटों के बीच आपस मे की गई सेवा बिल भी शामिल है ।

11. पूर्व वर्ष की राशि जहां जरूरी है पुन:प्रदर्शित है ।

(अजयकुमार के एन )
सचिव (प्रभारी)

(डा सफीना ए एन)
अध्यक्ष